केस स्टडी एवं

सफलता की

कहानी

विषय सूची

क.	विषय	वनमण्डल	पृष्ठ क्र.
1	ग्वालियर किला पहाड़ी पर सफल वृक्षारोपण	ग्वालियर	1
2	शिकार के प्रयास के आरोपियों की गिरफ्तारी	इन्दौर	3
3	इंदौर के सिंहासा गांव से तेंदुए का रेस्क्यू आपरेशन	इन्दौर	5
4	वन तस्करों के विरूद्ध सशक्त एवं प्रभावी कार्यवाई	इन्दौर	8
5	श्योपुर वन मण्डल में क्षारीय भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण	श्योपुर	11
6	शिवपुरी वन मण्डल के अन्तर्गत ग्राम वन समिति डेहरवारा द्वारा सफल आंवला वृक्षारोपण	शिवपुरी	14
7	बालाघाट जिले के ग्राम नेवरगांव में घुस आये बाघ का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन	दक्षिण बालाघाट	17
8	दक्षिण बालाघाट वन मण्डल के कटंगी परिक्षेत्र में शिकार के उद्देश्य से बिजली के तार बिछाने वाले अपराधियों की दोषसिद्धि	दक्षिण बालाघाट	22
9	वन तस्करों के विरूद्ध सशक्त एवं प्रभावी कार्यवाही।	इन्दौर	26
10	फर्जी टीपी प्रकरण	इन्दौर	29
11	ग्राम मेण्डल के अपात्रों द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त करने का असफल प्रयास	इन्दौर	32
12	समन्वित प्रयास से अंजन क्षेत्र का सफलता पूर्वक संरक्षण एवं संवर्धन	इन्दौर	34
13.	सीधी वन मंडल के चुरहट वन परिक्षेत्र में जन भागीदारी आधारित बहु – स्तरीय सिंचित रोपण से सतत् आय	सीधी	38
14.	सीधी वन मंडल में वनों के समीपवर्ती ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका के वैकलपिक साधनों का निर्माण	सीधी	43

1. ग्वालियर किला पहाड़ी पर सफल वृक्षारोपण

ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर स्थित किला काफी महत्वपूर्ण हैं यह किला ग्वालियर नगर के बीच में स्थित है। इसका निर्माण राजा मानसिंह द्वारा कराया गया था। यह किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है। इस किले के बाहरी भाग में वन क्षेत्र है, जो कि ग्वालियर वन मण्डल के अंतर्गत ग्वालियर वन परिक्षेंत्र की किला बीट में आता है। इस किला बीट का वन कक्ष क्रमांक 26 तीव्र ढ़लान वाली पथरीली पहाड़ी पर स्थित है। इस क्षेत्र के ग्वालियर नगर के प्रमुख फूल बाग चौराहे के समीप स्थित होने के कारण स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण के प्रयास किये जाते रहे है।

इस क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने तथा इसके प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा वर्ष 2008 में यहाँ पर वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया। वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर द्वारा किला बीट में पदस्थ श्री प्रमोद चतुर्वेदी, वन रक्षक को किला पहाड़ी पर वृक्षारोपण करने का दायित्व सौपा गया। श्री प्रमोद चतुर्वेदी वर्ष 1983 में वन रक्षक पद पर भर्ती हुये थे तथा उन्होने वन विद्यालय, शिवपुरी से वर्ष 1985 में वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

श्री प्रमोद चतुर्वेदी को जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण का दायित्व सौंपा गया था, वह क्षेत्र वृक्षारोपण की दृष्टि से बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। यह क्षेत्र 60^0 से 80^0 के तीव्र ढ़लान वाली पहाड़ी हैं। भू–क्षरण के कारण बहुत कम मिट्टी बची थी। सतह पर केवल पत्थर एवं बोल्डर ही दिखाई दे रहे थे परन्तु इन विषम परिस्थितियों में भी श्री चतुर्वेदी ने योजनाबद्व ढंग से पूरी लगन एवं दृढ़ निश्चय से इस दुष्कर कार्य को करने की ठान ली।

सर्वप्रथम क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कर उसका घेराव किया गया ताकि संभावित अतिक्रमणों को रोका जा सके। क्षेत्र की भू – आकृति के अनुरूप मृदा एवं जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण हेतु कन्टूर के समानान्तर गड्ढ़े खोदे गये तथा इन गड्ढ़ो में बाहर से ला कर मिट्टी एवं खाद् डाली गई। क्षेत्र में पानी की कमी के कारण ऐसी सिचाई पद्धति अपनाया जाना आवश्यक था जिसमें

कम से कम पानी से पौधों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे तथा पानी की एक भी बूँद बरबाद न हो। इसके लिये मिट्टी के मटको का प्रयोग किया गया। मटको में एक छोटा छेंद कर के उसमें कपड़े की बत्ती लगाई गई। फिर प्रत्येक रोपित पौधे की जड़ के पास इस प्रकार का एक पानी भरा मटका रखा गया ताकि मटके से पानी का बूँद–बूँद रिसाव हो कर पानी सीधा पौधे की जड़ में पहुँचे। इस प्रकार मटके में एक बार पानी भरने पर वह सप्ताह भर चल जाता था। सप्ताह में एक बार मटको को पुनः पानी से भर दिया जाता था। ऐसा करने से पानी का कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं हुआ और रोपित पौधों को भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप पानी उपलब्ध होता रहा जिससे रोपित पौधों को स्थापित होने में कोई कठिनाई भी उत्पन्न नहीं हुई।

इस प्रकार वर्ष 2008 से ले कर वर्ष 2014 तक प्रतिवर्ष बजट उपलब्धतानुसार 500 से 1500 पौधे रोपित किये गये। अब तक लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5500 पौधे रोपित किए जा चूके हैं। यह वृक्षारोपण पर्यावरण वानिकी योजनान्तर्गत किया गया।

परिणामः

रोपित पौधो को उनकी आवश्यकतानुसार पानी मिलने तथा मवेशियो की चराई से उनकी सुरक्षा हो जाने के कारण रोपित सभी पौधे स्थापित हो चूके हैं। पूर्व के वर्षो में रोपित पौधों की वृद्धि दर बहुत अच्छी हैं। रोपित क्षेत्र पूर्णतया हरीतिमा से आच्छादित हो गया है। इसके कारण स्थानीय नागरिक प्रातः एवं सायंकालीन भ्रमण के लिये यहाँ पर आने लगे है। इससे फूलबाग चौराहे एवं ऐतिहासिक किले की शोभा एवं सुन्दरता में भी चार चाँद लग गये है। धीरे–धीरे यह क्षेत्र पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी भ्रमण कर प्रकृति का आनन्द लेते है। मटको मे पानी उपलब्ध रहने से तथा सुरक्षित क्षेत्र होने से यहाँ पर मोर, गिद्ध एवं अन्य पक्षी भी पानी पीने आते है। किला पहाड़ी के ऊपर की ओर कई स्थानों पर इस क्षेत्र में गिद्धों के आवास भी देखे जा सकते है। इस प्रकार इस योजना ने संकटापन्न पक्षी प्रजाति गिद्ध के संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं।

————————

2. शिकार के प्रयास के आरोपियों की गिरफ्तारी

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वन्य प्राणियों एवं उनके अंगों की मॉग बढ़ने से वन्यप्राणियों के शिकार के प्रकरणों में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। इस शिकार के धंधें में सामान्यतया पारधी, बहेलिया इत्यादि समुदायों के लोग रहते है, जो कि परंपरागत रूप से पीढी–दर–पीढ़ी शिकार करके जीविका यापन करते आ रहे हैं परन्तु कुछ ऐसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं जिनमें धनाढ्य तथा सामाजिक–राजनैतिक रसूख रखने वाले परिवारों के लोग अपने शौक एवं दिखावे के लिए निरीह वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं। ऐसे लोग साधन सम्पन्न होते हैं तथा आधुनिक आग्नेयास्त्रों से लैस हो कर मोटर चलित तीव्रगामी वाहनों से जंगल में शिकार के लिये जाते हैं। रोकने या पकड़ने का प्रयास करने पर वे वन कर्मचारियों पर भी घातक हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण इंदौर वन मण्डल के चोरल परिक्षेत्र के जंगल में शिकार के उद्देश्य से रात्रि भ्रमण कर रहे आरोपियों का अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किए जाने का है। घ
ाटना का विवरण इस प्रकार है–

दिनांक 24 दिसम्बर 2010 को रात्रि में इंदौर स्थित वन विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई कि इंदौर वन मण्डल के चोरल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत राजपुरा उमठ के जंगल के वन कक्ष क्रमांक 120 में कुछ युवक एक वाहन में हथियारों सहित शिकार के उद्देश्य से घूम रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही उप वन मंण्डल अधिकारी एवं अन्य वन कर्मचारी तत्काल संभावित घटना स्थल की ओर रवाना हो गये । उक्त अधिकारी/कर्मचारियों ने रात्रि लगभग एक बजे वहॉ पहुँचकर घेराबंदी कर पॉच युवकों को घटना स्थल पर दबोच लिया। उनके पास से एक पजेरो वाहन, 306 एम.एम. बोर की राइफल, देशी कट्टा, 12 इंच का एक चाकू, 15 कारतूस तथा दो विदेशी सर्च लाइटें भी बरामद हुई। पकड़े गये सभी आरोपी प्रतिष्ठित परिवारों के थे। पूॅछतॉछ करने पर पहले तो आरोपियों ने बताया कि वे वहॉ पूजा करने आये थे। जब वनाधिकारियों ने पूॅछा कि जंगल में हथियार ले कर आधी रात को कौन सी पूजा कर रहे थे, तो वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। अतएव प्रथम दृष्ट्या अवैध शिकार के प्रयास का प्रकरण मानते हुए सभी संदिग्ध आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण

अधिनियम, 1972 की धारा 9 (यथा संशोधित वर्ष 2003) के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से मिले वाहन, हथियारों तथा अन्य सामग्री को जप्त कर लिया गया।

वन विभाग द्वारा गिरफ्तार किये गये सभी आरोपियों को अगले दिन महू के सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा न्यायालय में समस्त तथ्यों सहित मजबूती के साथ यह दलील दी गई कि अर्धरात्रि में एक बजे वाहन, हथियारों एवं सर्च लाइट के साथ घने जंगल में आरोपियों के प्रवेश करने का उद्देश्य शिकार के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्व ारा सभी आरोपियों को 6 जनवरी तक के लिये न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अभी यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

निष्कर्ष:

इस प्रकरण में सफलता प्राप्त होने के पीछे तीन प्रमुख कारक रहे। पहला कारक मजबूत मुखबिर तंत्र एवं वन कर्मचारियो की सजगता थी जिसके कारण आरोपियों के जंगल में घूमने की समय रहते खबर लग गई। दूसरा कारक अधिकारियों की तत्परतापूर्ण कार्रवाई। जैसे ही रात्रि में मुख्य वन संरक्षक, इंदौर को सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने तत्काल उपवन मण्डलाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को घटना स्थल की ओर रवाना कर दिया जिससे कि आरोपी अपने उद्देश्य में सफल होते, इसके पूर्व ही धर दबोचे गये। तीसरा कारक रहा घटना की भली–भॉति जॉच तथा बयानों के अभिलेखीकरण द्वारा मजबूती से विभाग द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष समाधानकारक ढंग से प्रस्तुत करना जिससे आरोपी न्यायालय से छूट न सके।

—————————

3. इंदौर के सिंहासा गांव से तेंदुए का रेस्क्यू आपरेशन

बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के दबाव के कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक रहवास स्थल निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके कारण वन्य प्रणी मजबूरी में भोजन–पानी की तलाश में वनों से भटककर गांवों तथा शहरों की सीमा में पहुंच जाते हैं जहां पर उनके जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। वाघ, तेंदुआ, भालू, भेड़िया तथा लकड़बग्घा जैसे हिंसक वन्य पशुओं के आबादी क्षेत्र में घुसने पर वहां पर रहने वाले मनुष्यों तथा उनके पालतु पशुओं को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। विगत वर्षों में इस प्रकार के मानव–वन्य प्राणी संघर्ष एवं उससे उत्पन्न जन हानि, जन घायल, पशु हानि एवं फसल हानि के प्रकरणों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अनेक ऐसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं, जहां वन्य प्राणियों के भटक कर गांव व शहर में घुस जाने पर लोग उन्हें मार डालते हैं। ऐसी स्थिति में वन विभाग के रेस्क्यू दल को तत्काल मौके पर पहुंच कर सूझबूझ से इस प्रकार रेस्क्यू की कार्यवाही करनी पड़ती है जिससे न केवल उस वन्य प्राणी को सुरक्षित रूप से पकड़ कर वहां पर एकत्र लोगों की भीड़ से बचा कर निकाला जा सके, बल्कि वहां उपस्थित भीड़ तथा स्वयं रेस्क्यू दल के सदस्यों को भी वन्य प्राणी के संभावित हमले से बचाया जा सके। सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य भीड़ प्रबंधन का है, जिसे नियंत्रित करना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोगों को वन्य प्राणी तथा उसके रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने की इतनी उत्सुकता रहती है कि वे घटना स्थल से हटने को तैयार ही नहीं होते हैं और लाख समझाने पर भी बार–बार पहुंच कर वन्य प्राणी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे रेस्क्यू दल को अपना काम करना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो गांव वाले रेस्क्यू दल के सदस्यों को ही मारने–पीटने पर उतारू हो जाते हैं।

यह कहानी इंदौर विमानतल से लगे हुए ग्राम सिंहासा में तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन की है। दिनांक 11 फरवरी 2013 को वन विभाग को तेंदुए द्वारा दो व्यक्तियों को घायल किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। घायल व्यक्तियों का उपचार कराया गया एवं तात्कालिक सहायता दी गई। दिनांक 11 फरवरी को तेंदुए को खोजने और उसे पकड़ने के प्रयास किये गये। इसके लिए गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए दो

पिंजड़े रखे गये। 10 कर्मचारियों का एक दल रात भर गांव में रहा। ग्रामीणों को समझाया गया कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, तब तक वे घरों से बाहर न निकलें तथा अपने मवेशियों को भी यथासंभव सुरक्षित स्थान पर रखें। दूसरे दिन अर्थात् 12 फरवरी 2013 को तीन वाहनों से आस–पास के क्षेत्रों में तेंदुए की तलाश प्रारंभ की गई। तलाशी दल जिसमें एक वन्य प्राणी चिकित्सक भी थे, के साथ वाहनों में तीन बेहोश करने वाली बंदूकें भी रखी थीं ताकि यदि कहीं तेंदुआ दिखाई पड़े तो उसे बेहोश कर पकड़ा जा सके, परंतु न तो इस दल को उस दिन तेंदुआ दिखाई पड़ा और न ही तेंदुआ पिंजड़े में फंसा। उसी दिन तेंदुए ने एक वन कर्मचारी को भी घायल कर दिया ।

अतः तीसरे दिन अर्थात् 13 फरवरी 2013 को मुख्य वन संरक्षक इंदौर वृत्त के नेतृत्व में तेंदुए की तलाशी एवं उसे पकड़ने हेतु वृहद स्तर पर सघन अभियान प्रारंभ किया गया। तलाशी हेतु कुल 150 कर्मचारियों, जिनमें वन विहार, भोपाल से आया प्रशिक्षित रेस्क्यू दल भी सम्मिलित था, को चार दलों में बांटा गया। प्रत्येक दल के साथ बंदूक, लाठी, ट्रेंन्कलाइजिंग गन, दूरबीन, जाल, पानी की बोतलें, पटाखे, दवाईयां इत्यादि रखी गईं। प्रत्येक दल के साथ एक चिकित्सक को भी रखा गया। स्थानीय वरिष्ठ वनाधिकारियों, जिनमें मुख्य वन संरक्षक, इंदौर वृत्त, वन संरक्षक, इंदौर वन मण्डल व वन संरक्षक (कार्य आयोजना) इंदौर भी सम्मिलित थे, ने मौके पर उपस्थित रहकर तलाशी दलों के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें इस बारे में विस्तृत रूप से समझाइश दी गई कि किन परिस्थितियों में किसे किसके नेतृत्व में क्या कार्यवाही करनी होगी।

गेहूं के खेतों में तेंदुए के छिपे होने की जानकारी मिलने पर चारों तलाशी दलों ने गेहूं के खेतों के चारों ओर से आगे बढ़ना प्रारंभ किया। तेंदुए को जैसे ही तलाशी दलों के पास आने की आहट लगी, उसने खेत के अंदर अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल कर एक तलाशी दल पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में तेंदुए ने श्री

ब्रजेंद्र सिंह तोमर, वन रक्षक के मुंह व सीने पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर भी श्री तोमर ने तेंदुए का पीछा नहीं छोड़ा एवं उसे पकड़ने का प्रयास जारी रखा। श्री तोमर को घायल करने के पश्चात् तेंदुआ विपरीत दिशा में भागने लगा। दल के अन्य सदस्यों ने भी तेंदुए का पीछा कर जाल डाल कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान तेंदुए ने पुनः हमला करते हुए श्री मान सिंह, वनपाल के गले पर पंजा मार दिया परंतु श्री मान सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए तेंदुए को अपनी बाहों में दबोच कर उसे गिरा दिया तथा उसके ऊपर बैठ गये। तब तक दल के अन्य सदस्यों ने वहां पहुंचकर जाल डाल कर तेंदुए को पकड़ लिया। तत्पश्चात् तेंदुए को बेहोश कर पिंजरे में बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात् तेंदुए को पिंजरे में नेहरू वन्य प्राणी संग्रहालय, इंदौर लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान पता चला कि उसके अगले पंजे में लोहे का शिकंजा फंसा हुआ था और शिकंजे के कारण ही उसके पंजे में घाव हो गया था। इसी कारण वह आबादी क्षेत्र में आ गया होगा, ताकि किसी पालतू जानवर का शिकार कर अपनी क्षुधा तृप्ति कर सके।

तेंदुए के पंजे में शिकंजे, जो कि किसी शिकारी ने शिकार के उद्देश्य से जंगल में लगाया होगा, की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुखबिर तंत्र की मदद से 24 घण्टे के अंदर पांच आरोपियों को शिंकजे एवं शिकार में प्रयुक्त होने वाले अन्य औजारों के साथ धर दबोचा गया एवं उन्हें गिरफ्तार कर जांच उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकरण में सूझ–बूझ, साहस एवं तत्परता से कार्य करने हेतु श्री अभय कुमार जैन, उप वन मण्डाधिकारी, इंदौर श्री राकेश लहरी, वन परिक्षेत्राधिकारी, इंदौर, श्री मानसिंह, वन पाल तथा श्री ब्रजेन्द्र सिंह तोमर, वन रक्षक को वर्ष 2013 के वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

————————

4. वन तस्करों के विरूद्ध सशक्त एवं प्रभावी कार्यवाई

इमारती लकड़ी, विशेषतः सागौन की लकड़ी, के बाजार मूल्यों में वृद्धि के कारण वनों में अवैध कटाई व इमारती लकड़ी की चोरी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से बड़े शहरों के पास स्थित सागौन वनों में संगठित एवं साधन सम्पन्न वन तस्कर गिरोहों की गतिविधियों बढ़ी हैं। वन कर्मचारियों द्वारा यद्यपि इन तस्कर गिरोंहों को पकड़ने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं परन्तु तस्करों की तुलना में उनके पास पर्याप्त साधन न होने से कई बार अपराधी बच निकलने में सफल हो जाते हैं। कई बार वे वन कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर देते हैं तथा कभी–कभी तो उन्हें मार भी डालते हैं। अतएव वन कर्मचारियों के लिये वन सुरक्षा का कार्य दिनों–दिन अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

इंदौर मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा नगर एवं वास्तव में इसकी व्यापारिक राजधानी भी है। यहां पर बहुत सी आरा मशीनें हैं। इंदौर जिले तथा पड़ोसी देवास, खरगौन एवं धार जिलों में सागौन के वन हैं, जो इंदौर नगर की सीमा से अधिक दूर नहीं हैं। इसके कारण इस क्षेत्र में वन तस्करों के कई गिरोह सक्रिय हैं, जो समीपस्थ वन क्षेत्रों में सागौन एवं अन्य मूल्यवान प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई कर उनकी इमारती लकड़ी को इंदौर की आरा मशीनों पर ला कर बेच देते हैं।

इस कहानी में वर्णित घटना इंदौर वन मण्डल के साहसी वन कर्मियों की है जिन्होंने बड़ी बहादुरी से वन तस्करों के एक गिरोह को पकड़ कर उसे कानून के हवाले कर दिया। घटना का विवरण इस प्रकार है–

दिनांक 15 अक्टूबर 2009 को रात्रि में इंदौर वन मण्डल के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मांगल्या रोड से सागौन की लकड़ी से भरा ट्रक इंदौर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही श्री अभय जैन, उप वन मण्डलाधिकारी के नेतृत्व में वन कर्मचारियों का एक दल मांगल्या की ओर रवाना किया गया। उक्त दल ने रात्रि 11 बजे से सड़क किनारे छिप कर उक्त वाहन की प्रतीक्षा की। रात्रि में तीन बजे के लगभग उन्हें एक आयशर ट्रक इंदौर की ओर आता हुआ दिखाई दिया जिस पर सागौन की लकड़ी लदी हुई थी। ट्रक के आगे एक इण्डिका कार पायलटिंग करती हुई चल रही थी। वन कर्मियों द्वारा कार तथा ट्रक का पीछा किया गया तथा उन्हें रूकने को कहा परन्तु इन वाहनों ने रूकने के बजाय अपनी गति और बढ़ा दी तथा तेजी से भाग निकलने की कोशिश की। तब वन कर्मियों ने उनके पास उपलब्ध बंदूकों के प्रयोग की चेतावनी दे कर ट्रक को बड़ी मुश्किल से रोक पाया परन्तु पाइलटिंग करने वाली इण्डिका कार व उसमें सवार व्यक्ति फरार होने में सफल हो गये। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 83 नग सागौन चरपट पाये गये, जिन्हें जब्त किया गया। जप्तशुदा लकड़ी का मापन करने पर उसका आयतन 1.

883 घन मीटर निकला। अपराध में प्रयुक्त आयशर ट्रक वाहन भी जप्त किया गया तथा ट्रक में सवार तीन अभियुक्तों को पकड़ने में भी सफलता प्राप्त हुई। इनमें से एक अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया परंतु उसे वहां पर उपस्थित श्री अंतर सिंह वैस, वन रक्षक ने दबोच लिया। सभी गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया गया।

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में लिप्त वृक्ष काटने वाले, ऊंटों से जंगल से कटी लकड़ी बाहर लाने वाले तथा वाहन में कटी लकड़ी भरने वाले व्यक्तियों के नाम भी बताये। इस निशानदेही के आधार पर अपराध में संलग्न इन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। अपराधियों ने पूर्व में भी अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों को बेचने की बात स्वीकार की, जिसके आधार पर उक्त लकड़ियां भी जब्त कर अलग से प्रकरण दर्ज किया गया।

मुखबिर से यह सूचना मिलने पर कि गिरफ्तार किये गये तीनों अभियुक्तों के जमानत पर जेल से छूटने पर उन्हें लेने के लिये फरार चौथा अभियुक्त जेल जा रहा है, श्री सतबीर सिंह सोलंकी, उप वन क्षेत्रपाल तथा श्री अंतरसिंह वैस, वन रक्षक जेल परिसर के पास ही छिप कर बैठ गये तथा चौथे अभियुक्त के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही जेल से छूटे अभियुक्तों को लेने वह चौथा व्यक्ति पहुंचा, वैसे ही उसे भी पकड़ लिया गया। उस व्यक्ति की निशानदेही पर वन अमले ने फल्ती गांव से उस इण्डिका कार को भी जब्त कर लियेा जो घटना के दिन आयशर ट्रक की पाइलटिंग कर रही थी तथा उस दिन वहां से भागने में सफल हो गई थी। समीपस्थ ग्राम अमलाझिरी से काष्ठ के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक ऊंट को भी जब्त कर लिया गया। कार मे सवार तीन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

इस प्रकरण में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। समस्त जब्तशुदा लकड़ी तथा वाहनों को सक्षम प्राधिकारी (उप वन मण्डलाधिकारी) द्वारा राजसात (अधिग्रहण) कर लिया गया। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश को अपीलीय प्राधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, इंदौर वृत्त) द्वारा यथावत रखा गया। तत्पश्चात् सत्र न्यायाधीश, इंदौर के समक्ष आरोपियों द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में भी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश को अपरिवर्तित रखा गया। इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पायलटिंग करने वाले वाहन को भी अधिहरित कर लिया गया, जिसमें कोई अवैध काष्ठ नहीं रखी थी। माननीय न्यायालय ने भी माना कि भले ही जप्तशुदा इंडिका कार में कोई लकड़ी नहीं रखी थी परंतु उक्त वाहन वन अपराध में संलिप्तता के कारण अधिहरणीय था।

----

5. श्योपुर वन मण्डल में क्षारीय भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण

श्योपुर जिला मध्यप्रदेश के धुर उत्तर में राजस्थान की सीमा से लगा हुआ हे। यह जिला चम्बल संभाग के अंतर्गत आता है। यहां की जलवायु अर्ध शुष्क हैं। श्योपुर जिले में करधई, सलई, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं परंतु मवेशियों की चराई के अत्यधिक दबाव के कारण अधिकांश प्रजातियों का प्राकृतिक पुररूत्पादन स्थापित नहीं हो पा रहा है। वन क्षेत्रों में मवेशियों के खाने योग्य घास का भी अभाव हो गया है।

सफलता की यह कहानी ग्वालियर वन वृत्त के श्योपुर वन मण्डल के बड़ौदा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सलमानिया बीट के वन कक्ष क्रमांक 271 में वर्ष 2011 में कराये गये सफल मिश्रित वृक्षारोपण की हैं। अत्यधिक जैविक दबाव के कारण यह वन कक्ष पूर्णतया वन विहीन हो चुका था। इस क्षेत्र का उपयोग समीपस्थ ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने तथा निस्तार हेतु करते थे। क्षेत्र की मिट्‌टी सफेद कंकड़ युक्त एवं क्षारीय थी। अधिक चराई के कारण मिट्‌टी कठोर हो चुकी थी तथा उसमें आर्द्रता संग्रहण क्षमता बहुत कम हो जाने के कारण वनस्पति आवरण समाप्त प्राय हो चुका था। क्षेत्र में लापा घास के अलावा अन्य घास भी पैदा नहीं हो रही थी, जो पशुओं का आहार बन सके। इस प्रकार यह क्षेत्र हर प्रकार से अनुत्पादक बन चुका था। अतः इस क्षेत्र को पुनः उत्पादक बनाने के लिये वर्ष 2010–11 में यहां पर 25 हेक्टेयर क्षेत्र का वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया।

इस क्षेत्र में वृक्षारोपण को सफल बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। क्षेत्र में मृदा, जलवायु एवं जैविक कारक पूर्णतया प्रतिकूल थे परंतु श्योपुर वन मण्डल के अधिकारियों ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने का निश्चय कर लिया था। इस कार्य के लिये सर्वप्रथम श्री धर्मेन्द्र जाट, वन रक्षक का चयन किया गया। श्री जाट का वन रक्षक पद पर चयन वर्ष 2008 में हुआ था तथा वर्ष 2009 में वन विद्यालय, शिवपुरी से वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त श्योपुर वन मण्डल में पदस्थिति हुई थी। श्री

जाट के युवा, योग्य एवं उत्साही वन रक्षक होने एवं उनके समीपस्थ ग्राम के निवासी होने के कारण वृक्षारोपण का उत्तरदायित्व श्री जाट को देने का निर्णय लिया गया। इसके लिये जून, 2010 में उन्हें सलमानिया बीट में पदस्थ किया गया। स्थानीय निवासी होने के कारण श्री जाट को स्थानीय ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई।

वृक्षारोपण के पूर्व परिक्षेत्र अधिकारी बड़ौदा द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की बैठक बुला कर उन्हें उक्त वन क्षेत्र में वृक्षारोपण के माध्यम से उत्पादकता बहाली की आवश्यकता के बारे में समझाया गया। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार वन क्षेत्र के अनुत्पादक हो जाने के कारण उसमें अब पशुओं के खाने योग्य घास भी नहीं बची है तथा किस प्रकार से उनकी मवेशियों को चारे तथा उन्हें निस्तार हेतु अन्य वनोपज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।यदि इस क्षेत्र में वृक्षारोपण सफल हो जाता है, तो न केवल क्षेत्र में अच्छी घास आ जायेगी, बल्कि भविष्य में उन्हें निस्तार हेतु अन्य वनोपज भी प्राप्त होने लगेगी परंतु वृक्षारोपण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक वर्षों में रोपण क्षेत्र में चराई पूर्णतया बन्द करनी पड़ेगी। इस पर उपस्थित ग्रामीण पूर्णताया सहमत हो गये और उन्होंने वृक्षारोपण की सफलता हेतु पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

तत्पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता से 25 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन करने के पश्चात् उसके चारों ओर चेन लिंक फेन्सिंग कर क्षेत्र को चराई एवं कटाई से सुरक्षित किया गया। वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र में 45 से.मी. ग 45 से.मी. ग 45 से.मी. आकार के गड्ढ़े खोदे गये। मिट्टी की क्षारीयता के प्रभाव को कम करने के लिये उसमें जिप्सम मिलाया गया। साथ ही गड्ढ़ों में गोबर की खाद भी डाली गई।

वर्षा ॠतु में चयनित क्षेत्र में सागौन के 7000, आंवला के 5000, सफेद सिरस के 6000, शीशम (डलवर्निया सिस्सू) के 2000, खैर के 1800, चिरोल के 1200, नीम के 800, कुल्लू के 500, पीपल के 200 तथा महुआ के 100 पौधे रोपित किये गये। रोपित पौधों की पूर्णरूप से देखभाल एवं सुरक्षा की गई।

<u>परिणाम :–</u> ग्राम वन समिति, सलमानिया के सदस्यों तथा श्री धर्मेन्द्र जाट, वन रक्षक की सजगता से रोपण क्षेत्र पूर्णतया सुरक्षित है। रोपित पौधों में से नब्बे प्रतिशत पौधे जीवित हैं एवं स्थापित हो कर बड़े हो गये हैं। रोपित किये गये आंवला के 5000 पौधों में तो फल भी लगने लगे हैं। ऐसा अनुमान है कि इस रोपण क्षेत्र से लगभग 50 क्विंटल आंवला फल प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। इसके अलावा क्षेत्र में घास का उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है तथा प्रतिवर्ष लगभग 20–25 टन घास ग्रामीणों द्वारा निकाली जा रही है। स्थानीय ग्रामीण इस रोपण से बहुत प्रसन्न हैं एवं उन्हें विश्वास है कि यह क्षेत्र अपनी पूर्ण उत्पादका को प्राप्त कर लेगा।

————————

6- शिवपुरी वन मण्डल के अन्तर्गत ग्राम वन समिति डेहरवारा द्वारा सफल आंवला वृक्षारोपण

संयुक्त वन प्रबन्धन की अवधारणा के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में व्यापक स्तर पर वन सुरक्षा समितियां, ग्राम वन समितियां तथा इको विकास समितियां गठित की गई हैं। इन ग्राम–स्तरीय समितियों में से अनेक समितियों द्वारा न केवल वन संरक्षण के कार्यों में, अपितु उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले वन क्षेत्रों के विकास एवं संवहनीय प्रबंधन में भी प्रशंसनीय योगदान दिया जा रहा है। ऐसी ही एक समिति शिवपुरी वन मण्डल के कोलारस वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत गठित ग्राम वन समिति डेहरवारा है।

ग्राम वन समिति डेहरवारा के माध्यम से वर्ष 2007–08 में राजगढ़ बीट के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 224 में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑवला के ग्राफ्टेड पौधों का रोपण किया गया था। कक्ष क्रमांक 224 का कुल क्षेत्रफल 335.40 हेक्टेयर है, जिसमें से 20 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन आंवला रोपण हेतु किया गया। वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र में से लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र की मिट्टी नरम, 15 हेक्टेयर क्षेत्र की मिट्टी कड़ी एवं शेष 2 हेक्टेयर क्षेत्र की मिट्टी पथरीली थी तथा इसमें भूमि–कटाव भी हो रहा था। वृक्षारोपण क्षेत्र के बड़े हिस्से में मुरमी तथा एक भाग में काली मिट्टी भी थी।

इस क्षेत्र में 6 मी. ग 6 मी. अन्तराल पर आंवला के 5500 ग्राफ्टेड पौधों का रोपण किया गया। ग्राम वन समिति द्वारा ही रोपण क्षेत्र की सुरक्षा व रखरखाव का दायित्व लिया गया। इस हेतु समिति द्वारा सुरक्षा श्रमिकों को नियुक्त किया गया। इन सुरक्षा श्रमिकों के पारिश्रमिक का निर्धारण समिति द्वारा, ठहराव प्रस्ताव पारित कर किया गया तथा तदुनसार उन्हें नियमित रूप से समिति द्वारा भुगतान भी किया जा रहा है।

समिति द्वारा ही वृक्षारोपण क्षेत्र का रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई इत्यादि सम्मिलित हैं। सिंचाई हेतु एक पक्का कुआं निर्मित किया गया जिसमें बारहों महीने पर्याप्त पानी रहता है। इस कुयें से वृक्षारोपण क्षेत्र की सिंचाई के

अलावा इसके पानी का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा अन्य कार्यों के लिये भी किया जा रहा है।

ग्राम वन समिति डेहरवारा द्वारा किये गये उत्कृष्ट संरक्षण एवं रख रखाव का ही यह परिणाम है कि अप्रैल 2014 में कराई गई गणना में 4577 पौधे जीवित पाये गये। इस प्रकार जीवित पौधों का प्रतिशत 86.85 है, जो कि क्षेत्र की अर्धशुष्क जलवायु को देखते हुए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। रोपित पौधों की औसत ऊंचाई 2.5 मीटर तथा गोलाई 21–30 सेमी हो चुकी थी।

वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपित आंवला वृक्षों की अच्छी वृद्धि दर के साथ–साथ पर्याप्त मात्रा में घास का भी उत्पादन हो रहा है। समिति द्वारा अपने 44 सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप घास का निःशुल्क वितरण किया जाता है। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में अतिरिक्त घास के नीलामी द्वारा निर्वर्तन से क्रमशः रू. 18,200/– तथा रू. 20,000/– प्राप्त हुए। उक्त राशि समिति के खाते में जमा कराई गई।

इस वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रथम बार वर्ष 2012–13 में कुछ आंवला वृक्षों में फल लगने प्रारंभ हुआ। वर्ष 2013–14 में लगभग 2.4 क्विंटल आंवला फलों का उत्पादन हुआ। उत्पादित आंवलों में से 15 समिति सदस्यों को 39 कि.ग्रा. आंवला निःशुल्क वितरित किया गया। शेष लगभग 2 क्विंटल आंवले के विक्रय से समिति को रू. 1000/– रूपये की आय हुई, जिसे समिति के खाते में जमा किया गया। उल्लेखनीय है कि आंवले का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है तथा समिति के सदस्यों ने वर्ष 2014–15 में 5 से 6 क्विंटल आंवले के उत्पादन का अनुमान लगाया है तथा आगामी वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की आशा व्यक्त की है।

वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हो जाने से उसमें पहले से प्राकृतिक रूप से उग रही विभिन्न प्रजातियों जैसे– जामुन, अर्जुन, महुआ, नीम, रेउंझा, करौंदा की पौध का भी विकास हुआ है तथा क्षेत्र की हरीतिमा में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उक्त क्षेत्र जो पूर्व में पूर्णतया वृक्ष विहीन था, वह अब वनाच्छादित क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है।

इस वृक्षारोपण क्षेत्र की सफलता का पूरा श्रेय ग्राम वन समिति, डेहरवारा के सदस्यों एवं स्थानीय वन कर्मचारियों को जाता है। उल्लेखनीय है कि इस रोपण क्षेत्र

की सुरक्षा, रख–रखाव, उत्पादित वनोपज (घास एवं आंवला फल) के विदोहन एवं निर्वर्तन से संबंधित समस्त निर्णय समिति द्वारा बैठकों में ठहराव प्रस्ताव पारित कर लिये गये तथा उनका क्रियान्वयन भी समिति द्वारा ही किया गया। इस प्रकार ग्राम वन समिति, डेहरवारा ने वन संरक्षण एवं प्रबंधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं स्वयं निर्णय लेकर कार्य करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में अनुकरणीय पहल की है।

————————

7. बालाघाट जिले के ग्राम नेवरगांव में घुस आये बाघ का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन

वन क्षेत्र के पास स्थित गांवों में वन्य प्राणियों के घुस आने की घटनायें अब आम हो गई हैं। ऐसी स्थिति में विचरण कर रहे वन्य प्राणी को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करना काफी कठिन होता है क्योंकि गांव में तमाशबीनों की भारी भीड़ एकत्र हो जाने से ये रेस्क्यू दल को अपनाकार्य करने में बहुत कठिनाई होती है।

यह घटना दक्षिण बालाघाट वन मण्डल के वारासिवनी परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नेवरगांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26 अप्रैल 2013 को श्री संजय गढ़ेवाल अपने घर में सो रहे थे। उसी कमरे में उनके पास ही उनके लकवाग्रस्त पिताजी भी सो रहे थे। प्रातः लगभग साढ़े पांच बजे उन्हें भारी वस्तु के गिरने जैसी आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि कहीं उनके पिताजी चारपाई से नीचे न गिर पड़े हों, वे तुरन्त उठे तो देखा कि सामने एक बाघ खड़ा हुआ है। बाघ को देखकर वे घ ाबराकर जोर से चिल्लाये एवं मकान के अंदर जाने के लिये पलटे। बाघ भी श्री संजय के चिल्लाने की आवाज सुनकर घबरा गया तथा उसने श्री संजय की पीठ पर पंजे से वार कर दिया। बाघ के प्रहार से श्री संजय नीचे गिर पड़े तथा गिरते समय एक गमला उनके हाथ में आ गया। उस गमले से श्री संजय ने बाघ पर जवाबी वार कर दिया। इस पर बाघ ने श्री संजय पर पुनः वार किया जिसमें बाघ का एक पंजा इस बार श्री संजय के सीने पर लगा। इसके बाद बाघ वहां से भागकर एक वृक्ष के नीचे जा कर बैठ गया। उस वृक्ष के पास से सड़क पर श्री दिनेश मरार जा रहे थे। उन्होंने किसी जानवर को वृक्ष के नीचे बैठा देखा तो उत्सुकतावश उसे देखने के लिये थोड़ा नजदीक पहुंच गये तथा एक लकड़ी से बाघ के शरीर को छुआ। निश्चित रूप से यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बाघ ने श्री दिनेश की इस अवांछनीय हरकत से नाराज होकर कर उनके मुंह एवं हाथ पर पंजे से वार कर दिया जिससे वे घायल हो गये। बाघ भी इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से हड़बड़ा गया तथा वह पास ही स्थित श्री ईश्वर नागेश्वर के मकान के पिछवाड़े की दीवार पर कूद कर उनकी बाड़ी के अंदर आ गया। तब तक गांव के कई अन्य लोगों को गांव में बाघ की उपस्थिति का पता चलने पर वे श्री ईश्वरी के मकान के पास आ गए और जोर–जोर से चिल्लाने लगै। इस शोरगुल

से घबड़ाकर बाघ बाड़ी से निकलकर श्री ईश्वरी के घर के अंदर घुस गया। इस पर श्री ईश्वरी के पुत्र श्री प्रदीप ने मकान के पिछवाड़े वाला दरवाजा बंद कर दिया और चिल्ला कर घर के लोगों को मकान से बाहर निकल जाने के लिये कहा। तब घर के सभी लोग घबरा कर तत्काल तेजी से घर के बाहर निकल गये और श्री ईश्वरी की पुत्री शीला ने मकान के सामने के दरवाजे को कंडी लगाकर बंद कर दिया। इस प्रकार बाघ दोनों ओर से मकान के अंदर बंद हो कर रह गया।

बाघ के श्री ईश्वरी नागेश्वर के मकान के अंदर बंद होने का समाचार सारे नेवारगांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। लोगों ने मोबाइल से अपने परिचितों को भी सूचित कर दिया जिससे नेवारगांव एवं आसपास के क्षेत्र के व्यक्तियों की भारी–भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। इस बीच किसी ने श्री अब्दुल राजिक कुरैशी, उप वन क्षेत्रपाल को दूरभाष से इस घटना की सूचना दे दी। सूचना प्राप्त होते ही श्री कुरैशी तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हो गये। साथ ही उन्होंने मोबाइल से अपने उच्चाधिकारियों को भी घटना की जानकारी दे दी। घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति की गंभीरता को देखते हुये उससे निपटने के लिए श्री कुरैशी ने वारासिवनी एवं बालाघ ाट वन परिक्षेत्रों के वन अमले को भी बुलवा लिया। इस बीच लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तब तक श्री एम.एस. श्रीवास्तव, उप वन मण्डलाधिकारी, बालाघाट भी वन अमले को एकत्र कर रेस्क्यू उपकरणों सहित घटना स्थल पर पहुंच गये।

श्री श्रीवास्तव ने सबसे पहले बाघ के हमले में घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, बालाघाट भिजवाने की व्यवस्था की। साथ ही तात्कालिक सहायता के रूप में उन्हें दो–दो हजार रूपये भी विभाग की ओर से दिलवाये।

इस बीच मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट को घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने तत्काल वन मण्डलाधिकारी द्वय श्री के. के. गुरवानी एवं श्री एच. पी. झारिया को घटना स्थल के लिये रवाना कर दिया।

तत्पश्चात् सर्वप्रथम मकान के अंदर कैद बाघ की सही स्थिति ज्ञात करने की रणनीति बनाई गई। इस समय प्रातः के 7:30 बजे थे। इसके अंतर्गत मकान के उन कक्षों की छत में छेद बनाये गये जिनमें से बाघ के उपस्थित होने की संभावना थी।

इन छेदों के माध्यम से शक्तिशाली टार्चों की मदद से घर का कोना–कोना देखने का प्रयास किया गया परंतु बाघ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था।

इस बीच मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, श्रीमती मरावी, तहसीलदार, लालबर्रा एवं श्री गुलबागे, नगर निरीक्षक, वारासिवनी भी घटना स्थल पर पहुंच गये। सभी अधिकारियों ने बाघ की उपस्थिति की सही स्थिति ज्ञात करने की रणनीति पर पुनर्विचार किया। तदनुसार एक जीवित मुर्गे की टांग बांधकर उसे रोशनदान से मकान के अंदर छोड़ा गया तथा सभी किवाड़ों एवं खिड़कियों से मकान के अंदर झांक कर देखने का प्रयास किया गया। परंतु न तो बाघ और न ही उसकी कोई गतिविधि दिखाई दी। तभी एक कक्ष मे सोफासेट एवं अन्य फर्नीचर गिरे हुए दिखाई दिए जिससे बाघ के उस कक्ष में आने की संभावना लग रही थी। तब मकान मालिक श्री ईश्वरी नागेश्वर के बताये अनुसार अधिकारियों द्वारा मकान का नक्शा तैयार किया गया तथा बाघ की उपस्थिति की सर्वाधिक संभावना वाले कक्ष की कच्ची दीवार मे सब्बल की सहायता से छेद किया गया। इस छिद्र के द्वारा टार्च की रोशनी में बारीकी से देखने पर बाघ के सीने एवं पेट का हिस्सा दिखाई पड़ा जिसमें बाघ की धारियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। साथ ही बाघ के हल्के–हल्के गुर्राने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस प्रकार बाघ की उपस्थिति प्रमाणित होने के पश्चात् अब उस बाघ को पकड़ने की रणनीति बनाई गई। इसके लिये पेंच टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, उप संचालक एवं वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. अखिलेश मिश्रा से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनसे बाघ को निश्चेतित करने हेतु विशेषज्ञों के दल को वन्य प्राणी चिकित्सक के साथ तत्काल भेजने हेतु अनुरोध किया गया। इस बीच घटना स्थल पर लोगों की भीड़ निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। यह भीड़ इतनी अधिक संख्या में मकान के चारों ओर एकत्रित हो गई कि उसे नियंत्रित कर पाना वन विभाग के अमले के लिये संभव नहीं था। तब वनमण्डलाधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, बालाघाट से दूरभाष पर सम्पर्क कर अधिक पुलिस बल भेजने हेतु आग्रह किया गया जिसके फलस्वरूप पुलिस लाइन, बालाघाट से अतिरिक्त पुलिस बल एवं नगर निरीक्षक, लालबर्रा को भी पुलिस बल के साथ नेवरगांव भेजा गया। साथ ही श्री

कामेश्वर, एस.डी.एम. वारासिवनी एवं श्री प्रकाश परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी स्वयं घटना स्थल पर पहुंच गये तथा उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्रारंभ की।

अपरान्ह लगभग ढ़ाई–तीन बजे पेंच टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू दल भी डॉ. अखिलेश मिश्रा, वन्य प्राणी चिकित्सक के नेतृत्व में रेस्क्यू वाहनों एव उपकरणों सहित नेवरगांव पहुंच गया। उन्होंनें आते ही वहां पर उपस्थित अधिकारियों से चर्चा एवं घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के उपरान्त बाघ को निश्चेतित करने की रणनीति बनाई एवं आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी। इन सब तैयारियों के बीच घटना स्थल पर जन समुदाय की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी जिसे पुलिस बल द्वारा भी नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। पुलिस बल एवं वन अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा मकान के पास से भीड़ को हटाने का प्रयास किया जाता था परंतु तमाम प्रयासों के बावजूद भीड़ बार–बार मकान के पास जमा हो जाती थी। इससे रेस्क्यू दल को अपना कार्य करने, यहां तक कि खड़े होने के लिये भी, स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।

इन विषम परिस्थितियों में भी डॉ. मिश्रा एवं उनके सहयोगियों को शाम को लगभग 4:30 बजे ट्रेक्वलाईजर गन की सहायता से बाघ को निश्चेतित करने में सफलता प्राप्त हो ही गई। तदुपरांत बाघ के निश्चेतित होने की पुष्टि करने के लिये दीवार में बने छेद में से बांस डाल कर बाघ को हिलाया–डुलाया गया परंतु बाघ निश्चेत ही रहा। तब कमरे का दरवाजा खोल कर डॉ. मिश्रा द्वारा बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण में बाघ को स्वस्थ्य पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान ˘ÛÛ‰ƒ एवं ˘Ûƒ‹ç के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

निश्चेतित बाघ को ले जाने के लिये पहले से ही स्थल पर पिंजरे एवं वाहन की व्यवस्था कर ली गई थी। पिंजरे को पहले स्पिरिट से धो कर उसे कीटाणुरहित ;कपेपदमिबजद्ध किया गया। पिंजरे में हल्दी का पाउडर भी छिड़का गया। इस पिंजरे को वाहन पर मजबूती से स्थापित किया गया। तत्पश्चात् निश्चेतित बाघ को स्ट्रेचर पर ला कर उसे पिंजरे में डाला गया। तब तक उपस्थित जन समुदाय बाघ को देखने के

लिये बेकरार हो चुका था। पुलिस एवं वन विभाग के घेरे को तोड़कर उपस्थित भीड़ ने पिंजरे वाले वाहन को चारों ओर से घेर लिया परंतु चूंकि पिंजरे के सामने पर्दा लगा दिया गया था, अतः वे बाघ को देख नहीं पा रहे थे। उपस्थित व्यक्तियों एवं बाघ की सुरक्षा की दृष्टि से पिंजरे में बंद बाघ को वाहन सहित तत्काल रवाना कर दिया गया परन्तु बाघ को देखने की जिद पर अड़े लोगों ने वाहन के गली से बाहर आते ही पुनः उसे घेरकर रोकने का प्रयास किया। जन समुदाय को अनुरोधपूर्वक निंरतर समझाते हुए वाहन को आगे बढ़ाना जारी रखा गया। इस पर भीड़ ने पिंजरे वाले वाहन तथा साथ में चल रहे पुलिस एवं वन विभाग के वाहनों पर पथराव प्रारंभ कर दिया जिससे कई वाहनों के शीशे फूट गये। पथराव से बाघ को ले जा रहे वाहन पर बैठे दो व्यक्ति घायल हो गये। मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त एवं उनके वाहन चालक को भी मामूली चोटें आ गई। इस सब के बावजूद वाहनों का काफिला आगे बढ़ता रहा। यात्रा के दौरान निश्चेतित बाघ के शरीर पर ठंडा पानी डाला जाता रहा ताकि उसके शरीर का तापमान नियमित बना रहे।

बाघ को ले जा कर जंगल में छोड़ने का स्थान पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। इसके लिये वन परिक्षेत्र लौगुर के कक्ष क्रमांक 87 का चयन किया गया था क्योंकि यहां पर बाघ के लिये पेयजल एवं शिकार हेतु वन्य प्राणी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। तदनुसार वन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं वन्य जीव विशेषज्ञों की उपस्थिति में बाघ को नियत स्थान पर ले जा कर पिंजड़े से मुक्त किया गया। मुक्त होने के पश्चात् बाघ पिंजरे से बाहर निकला तथा थोड़ी चहल कदमी करने के पश्चात् छलांग मार कर सघन वन क्षेत्र में चला गया।

————————

8. दक्षिण बालाघाट वन मण्डल के कटंगी परिक्षेत्र में शिकार के उद्देश्य से बिजली के तार बिछाने वाले अपराधियों की दोषसिद्धि

वन्य प्राणियों के विचरण क्षेत्रों में बिजली के तार बिछाकर वन्य प्राणियों के शिकार की घटनायें बढ़ रही हैं। अपराधी नंगा तार लेकर उसे खूंटियों की सहायता से रात में खेतों अथवा वन क्षेत्र के अंदर बिछाकर उसे बिजली के खम्बे या लाईन से जोड़ देते हैं जिससे उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जो भी वन्य प्राणी विचरण करते हुए उस तार को स्पर्श कर लेता है, उसकी करेंट लगने से मृत्यु हो जाती है। कभी–कभी ऐसा खेतों में खड़ी फसल को हानि पहुंचाने वाले वन्य प्राणियों जैसे चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, कृष्ण मृग इत्यादि से बचाने के लिए भी किया जाता है परंतु अन्य बहुत से प्रकरणों में ऐसा वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से ही किया जाता है। कभी–कभी इन तारों में बड़े मांसाहारी जानवर जैसे बाघ व तेंदुए भी फंस कर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। शिकारी तार में मृत वन्य प्राणियों के शवों को ले जा कर उनकी खाल तथा अन्य अंग बेच कर पैसा कमा लेते हैं। परंतु प्रस्तुत कहानी में जिस घटना का वर्णन है, उसमें किसी वन्य प्राणी की मृत्यु न होने पर भी न केवल शिकार के आशय से बिजली के तार बिछाने वाले तीन अपराधियों को पकड़ा जा सका अपितु न्यायालय में उनकी दोषसिद्धि होने पर एक–एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित भी किया गया। यह घटना दक्षिण बालाघाट वन मण्डल के कटंगी परिक्षेत्र के अंतर्गत बड़पानी बीट की है। घटना का विवरण इस प्रकार हैः–

दिनांक 5 दिसम्बर 2012 को रात्रि करीब 11:50 बजे श्री मीर सैयद अली, उप वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक महकेपार बडपानी बीट के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 586 के पास बड़पानी जंगल गश्ती पर निकले हुए थे। उनके साथ श्री भेजन सिंह गर्द, बीट गार्ड, बड़पानीय श्री आशीष विश्वकर्मा, वन रक्षक, महकेपार तथा कुछ सुरक्षा श्रमिक– दिनेश, रेवाराम, चंदन तथा हरीचंद भी थे। उस समय उन्हें कक्ष क्रमांक 586 की सीमा पर टार्च की रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि ग्राम गणेशपुर में

स्थापित ट्रांसफार्मर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बिजली का तार जमीन पर बांस की खूंटियों के सहारे फैला हुआ है और तीन व्यक्ति उस तार को विद्युत ट्रांसफार्मर से जोड़ने के प्रयास में हैं। श्री अली को तुरंत समझ में आ गया कि उनकी मंशा तार में विद्युत करेंट फैलाकर किसी वन्य प्राणी का शिकार करने की है। श्री अली तत्काल अपने सहयोगियों के साथ संभावित अपराधियों को पकड़ने के लिए दौड़े और वे एक अपराधी सुनील गोंड को दबोचने में सफल हो गये परंतु अन्य दो अपराधी गुनी गोंड एवं अशोक गोंड भाग निकलने में सफल हो गये।

सुनील को गिरफ्तार करने के पश्चात् उससे पूंछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह अपने दो साथियों गुनी तथा अशोक के साथ वन्य प्राणियों के शिकार के आशय से ही तार बिछा रहा है। सुनील का बयान मौके पर उपस्थित वन कर्मचारियों एवं सुरक्षा श्रमिकों की उपस्थिति में दर्ज किया गया। स्थल निरीक्षण में लगभग 1500 मीटर तार, बांस की खूंटियों से बंधा मिला। यह तार खेतों से हो कर वन क्षेत्र के अंदर तक जा रहा था। एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई जिससे बांस को काट कर खूंटियां बनाने तथा उन्हें जमीन में गाड़ने का कार्य किया गया था। अपराध में प्रयुक्त समस्त सामग्री–1500 मीटर लोहे का तार (जिसका बाद में वजन करने पर 5. 700 कि.ग्रा. निकला), बांस की 20 खूंटियां तथा एक कुल्हाड़ी जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया। तत्पश्चात् गांव में तलाशी उपरांत अन्य दोनों अपराधियों गुनी तथा अशोक, को भी गिरफ्तार कर उनके बयान भी दर्ज किए गये। उन दोनों ने भी साक्षियों के समक्ष अपने बयानों में स्वीकार किया कि उन्होंने सुनील के साथ मिलकर वन्य प्राणियों के शिकार के आशय से बिजली का तार बिछाया था।

तीनों आरोपियों के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 एवं 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कटंगी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत प्रकरण की विवेचना के बाद परिक्षेत्र अधिकारी, कटंगी द्वारा न्यायालय में दाण्डिक परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 01 फरवरी 2013 को आपराधिक प्रकरण क्रमांक 70/13 के रूप में पंजीबद्ध किया गया।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पूर्व में वन अधिकारी के समक्ष दिये बयानों से मुकरते हुए कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी या तो वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हैं। कार्यवाही में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को शामिल नहीं किया गया। अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्विक विरोधाभास होने के कारण भी उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

परंतु विद्वान न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 23 जून 2014 को पारित अपने निर्णय में बचाव पक्ष के तर्कों को अमान्य कर दिया। आदेश में कहा गया कि परिवादी साक्षी मीर सैयद अली, चंदन, रेवाराम, प्यारेलाल, आशीष, भेजन सिंह एवं हरीचंद मौके के स्वाभाविक साक्षी हैं, जो कि उस समय गश्ती में गये थे। घटना स्थल आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर एवं घटना का समय रात्रि का है। उस समय एवं उस स्थान पर गांव बस्ती के अन्य व्यक्ति का घटना स्थल पर उपस्थित रहना संभव नहीं था। परिवादी एवं सभी साक्षियों के बयान इस बिंदु पर अखंडित है कि उन्होंने घटना स्थल पर आरोपी सुनील को देखा था एवं स्थल पर जी.आई. तार लगे हुए थे जो पास ही ट्रांसफार्मर तक जोड़े जाने के आशय से बिछाये गये थे। इस संबंध में आरोपी सुनील की संस्वीकृति भी महत्वपूर्ण है। आरोपी के बयान अभियोजन साक्षियों के समक्ष लिये गये थे जिन्होंने इसकी पुष्टि की। अन्य दो आरोपी यद्यपि मौके पर नहीं पाये गये थे परंतु मौके से उन्हें भागते हुए परिवादी साक्षियों ने देखा था और बाद में आरोपी सुनील द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब उक्त दोनों आरोपियों ने भी साक्षियों के समक्ष संस्वीकृति की थी कि आरोपी सुनील के साथ उन्होंने भी वन्य प्राणी के शिकार हेतु बिजली के तार फैलाने में सहयोग किया था। परिवादी साक्षी, रेवाराम, प्यारेलाल एवं दिनेश स्वतंत्र साक्षी हैं। उन्हें घटना के समय वन अधिकारी द्वारा मौके पर साक्षी की हैसियत से ले जाया गया था। सभी साक्षियों से आरोपीगण की कोई पूर्व रंजिश नहीं है और अन्य कोई ऐसा कारण भी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वे आरोपीगण के विरूद्ध झूठी गवाही दे रहे हैं तथा उनके द्वारा जानबूझकर आरोपीगण को फंसाया गया है। उनके कथनों में कोई

विरोधाभास भी नहीं है। इस प्रकार सभी परिवादी साक्षियों के कथन विश्वास करने योग्य हैं और उनके अखण्डित कथनों से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान जो कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्र है, में आरोपीगण ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के प्रावधान के उल्लंघन में शिकार का प्रयत्न किया। इसलिए उनका यह कृत्य उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपीगण को उपरोक्त अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है।

दिनांक 23 जून 2014 को दोष सिद्ध अपराधियों को न्यायालय द्वारा दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। दण्डादेश में विद्वान न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि चूंकि आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं की गई है, अतः वे प्रथम अपराधी हैं। उनके द्वारा शिकार का प्रयत्न किया गया है, किसी वन्य प्राणी को नुकसान कारित नहीं किया गया हैं। इसलिए अपराध की प्रकृति को देखते हुए उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाना उचित नहीं है। अतएव प्रत्येक आरोपी को एक–एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

<u>प्रकरण के विशिष्ट पहलू–</u>

1. प्रकरण में वन्य प्राणी का शिकार होने के पूर्व ही शिकार की मंशा से बिजली के तार बिछाने वाले अपराधी न केवल पकड़े गये, अपितु उन्हें न्यायालय से कठोर दण्ड दिलाने में भी सफलता प्राप्त हुई।

2. यद्यपि घटना स्थल पर एक ही अपराधी पकड़ में आ सका था परंतु उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों अपराधियों को भी पकड़ने एवं उन्हें सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

3. घटना के दो माह से भी कम समय में विभागीय कर्मचारियों द्वारा विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया तथा न्यायालय में अभियोजन द्वारा मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे परिवादियों एवं अभियोजन साक्षियों के कथन अखण्डित रहे।

4. न्यायालय ने माना कि चूंकि घटना स्थल आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत है एवं घटना समय रात्रि का है, अतः घटना स्थल पर घटना के समय गांव–बस्ती के किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होना संभावित नहीं था। अतएव घटना स्थल पर उपस्थित वन कर्मचारी, चौकीदार एवं सुरक्षा श्रमिक आपराधिक कृत्य के स्वतंत्र एवं स्वाभाविक साक्षी हैं।

———————

9. वन तस्करों के विरूद्ध सशक्त एवं प्रभावी कार्यवाही।

वन अपराध प्रकरण क्रमांक 575/23 दिनांक 15.10.2009

दिनांक 15.10.09 को मुखबिर की सूचना पर एक आयशर क्रमांक एम0पी0 09 के0 8708 में सागौन की अवैध चरपट नग 83 (1.883 घनमीटर) लकडीयां परिवहन करते हुए जप्त की गई। वाहन के साथ महेश पिता शंकरलाल निवासी ग्राम फली, आकाश पिता शंकरलाल निवासी सिवनी एवं विजय पिता कैलाश निवासी ग्राम रोसला जिला शाजापुर को गिरफतार किया गया।

- . इस आयशर वाहन के आगे एक सफेद इंडिका कार जिसका नंबर एम0पी0 09 एच0बी0 8335 पाइलिटिंग कर रही थी। इसे भी बाद में जप्त किया गया एवं कार में बैठे तीन व्यक्ति दिनेश पिता शंकरलाल निवासी फली, गोपाल पिता शिवलाल निवासी सिवनीखेडा एवं पर्वत पिता बाबूलाल निवासी सिवनीखेडा थे। जिन्हे गिरफ्तार किया गया।

- प्रकरण में लकड़ी काटने वाले, लकड़ी भरने वाले, एवं उंटो से जंगल से लकड़ी काट कर लाने वाले अपराधियों सहित कुल 13 लोग गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। प्रत्येक अपराधी कम से कम 7 दिन जेल में रहे।

- . मुख्य अपराधी दिनेश की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर व्दारा अमान्य कर दी गई एवं उसकी गिरफ्तारी के बाद 4 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ जिसके दौरान उसके व्दारा पूर्व में बेची गई अवैध लकड़िया भी जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रकरण में जप्त आयशर वाहन, इंडिका कार एवं तीन ऊँटों की राजसात की कार्यवाही वनमण्डलाधिकारी व्दारा की गई जिसे अपीलीय

प्रकराण में मुख्य आरोपी दिनेश कुमार पिता शंकरलाल

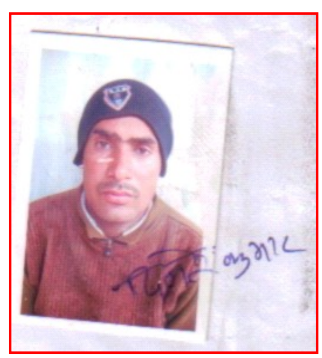

अधिकारी एवं माननीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश इन्दौर द्वारा रिव्हीजन में यथावत रखा गया।

- इस पूरे प्रकरण में वाहन में अवैध वनोपज की जप्ती के साथ वाहन के आगे पाइलिटिंग करने वाली इंडिका कार एवं उसमें बैठे अपराधी, लकड़ी काटने वाले एवं उंटो से लकड़ी लाकर वाहन में लोड करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की गई। माननीय न्यायालय में वन तस्करो के विरूध्द सशक्त रूप से समुचित अभिलेख सहित शासन का पक्ष रखा, जिससे माननीय न्यायालय ने सख्त रवैया अपनाते हुये प्रभावी कार्यवाही की एवं विभाग के कार्यवाही को सही बताया।

- प्रकरण में जप्त आयशर वाहन (मय लकडी के) पायलेटिंग करते हुए इंडिका कार एवं जंगल से 3 ऊँटों से लकडी लाकर वाहन में लोड करने के कारण जप्त कर राजसात (अधिहरण) की कार्यवाही की गई। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश को अपील अधिकारी ने यथावत रखा एवं माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर द्वारा भी पुनरीक्षण (रिव्हीजन) में राजसात (अधिहरण) के आदेश को यथावत रखा गया। संभवतः मध्यप्रदेश का यह प्रथम प्रकरण है, जिसमें पायलेटिंग करते हुए वाहन को राजसात किया गया हो।

23 Oct. 2009 पत्रिका

वन विभाग का खंडेल में छापा

तस्कर बंदी, ऊंट और इंडिका जब्त

विभाग की कार्रवाई

खंडेल गांव और नाहर झाबुआ के जंगलों में सक्रिय हैं सागवान तस्कर गिरोह

इंदौर, सिटी रिपोर्टर। वन विभाग ने गुरुवार तड़के खंडेल गांव में छापा मारकर लकड़ी तस्करी में लगा एक ऊंट और इंडिका कार जब्त की तथा एक आरोपी को बंदी बनाया। यह कार 15 अक्टूबर को वन विभाग द्वारा एक लाख की सागवान के साथ जब्त मिनी ट्रक के आगे पायलेटिंग कर रही थी।

गुरुवार सुबह एसडीओ अभय जैन और रेंजर राकेश लहरी के नेतृत्व में टीम ने खंडेल गांव में सुबह चार बजे छापा मारा। टीम ने फरार आरोपियों में से एक पर्वतसिंह पिता बाबूलाल को गिरफ्तार कर इंडिका कार जब्त की। मौके से लकड़ी तस्करी में लगा एक ऊंट जब्त किया है, जिसे उमरीखेड़ा नर्सरी में रखा गया। ऊंट, इंडिका और मिनी ट्रक को राजसात करेंगे।

तीन और ऊंट हैं

डीएफओ ने बताया कि इस क्षेत्र में तीन और ऊंट हैं जिनका उपयोग तराई से सागवान की लकड़ी ऊपर लाने के लिए किया जाता है। ये ऊंट जीवन पिता मांगीलाल का है, जो पुराना अपराधी है। कार दिनेश पिता शंकर मिस्त्री की है, जो फरार है। एक अन्य आरोपी गोपाल की भी तलाश की जा रही है।

डीएफओ पर हमला हो चुका है खंडेल में

पहले भी वन विभाग ने खंडेल गांव से चार ऊंट जब्त किए थे, जिनको बाद में नीलाम किया गया। वहीं एक ऊंट जब्त करने के दौरान खंडेल गांव में तत्कालीन डीएफओ अन्निगेरी पर हमला हुआ था। इसमें भी जीवन आरोपी था। यह एक बड़ा तस्कर गिरोह है, जो जंगल से ऊंट के माध्यम से लकड़ी लाकर इंदौर में बेचता है। इनके खिलाफ मध्यप्रदेश वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम 1969 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें दो साल की सजा और 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान है।

वन विभाग की बैठक आज

डीएफओ कृष्णमूर्ति ने बताया कि इंदौर और देवास जिले की सीमा पर खंडेल और नाहर झाबुआ जैसे जंगल हैं। यहां बड़ी मात्रा में सागवान है, जिसके चलते गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए शुक्रवार को वन विभाग इंदौर और देवास की खंडेल गांव की सीमा पर बैठक बुलाई है। इसमें पुलिस को भी शामिल किया जाएगा, ताकि यहां सागवान तस्करी पर रोक लग सके।

16 Oct. पत्रिका

(1)

अवैध लकड़ियों के साथ तीन गिरफ्तार

16 Oct. 2009

भास्कर संवाददाता | इंदौर

मांगल्या रोड पर बुधवार देर रात तीन बजे वनकर्मियों ने अवैध लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा। मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 83 नग सागवान के जब्त किए। ट्रक रुकवाने के लिए वनकर्मियों को बंदूक दिखाना पड़ी।

बुधवार रात 11 बजे से वन विभाग का अमला ट्रक की निगरानी के लिए मांगल्या रोड पर ग्राम तोड़ी के निकट खेत में छिपकर इंतजार कर रहा था। रात 3 बजे एक ट्रक (एमपी 09 के 8708) आया, जिसके आगे इंडिका कार चल रही थी। जैसे ही विभाग का अमला अपने वाहनों से ट्रक के पीछे लगा तो इंडिका कार तेज गति से निकल गई। ट्रक ड्राइवर ने भी गति बढ़ाई लेकिन एसडीओ अभय जैन के नेतृत्व में वनकर्मियों ने बंदूकें अड़ा दी। ट्रक रुकने पर उसमें सवार महेश पिता शंकरलाल, विजय पिता कैलाश तथा आकाश पिता शंकरलाल (तीनों डबलचौकी निवासी) को गिरफ्तार किया गया। आकाश ने भागने के प्रयास किए पर वनरक्षक अंतरसिंह बैस ने दबोच लिया। डीएफओ एल. कृष्णमूर्ति ने रात में ही इस कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने 'भास्कर' को बताया लकड़ियां कहां से काटी गईं इस बारे में जानकारी ली जा रही है।

10. <u>फर्जी टीपी प्रकरण</u>

दिनांक 20.1.2011 को एक ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.बी. 8751 में अवैध रूप से बबूल परिवहन करते हुए जप्त किया गया। वाहन के साथ टीपी क्रमांक 160010/32 दिनांक 20.1.2011 पाया गया जो देवास वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा हाट पिपल्या से इन्दौर परिवहन हेतु जारी किया गया था। प्रकरण की जांच में पाया गया कि यह टीपी परिक्षेत्राधिकारी देवास द्वारा जारी नहीं की गई एवं फर्जी है।

प्रकरण की जांच में संलग्न लकडी तस्कर अवतारसिंह पिता रामसिंह बग्गा निवासी इन्दौर एवं हरजीतसिंह पिता अवतारसिंह बग्गा निवासी इन्दौर को गिरफतार किया गया।

माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा भी इनकी जमानत स्वीकृत नहीं की गई। आरोपी लगभग एक माह जेल में रहे।

इस प्रकरण की जांच में आरोपी अवतारसिंह एवं हरजीत सिंह ने बताया कि यह टीपी उनको अब्दुल वहीद पिता अब्दुल हफीज कुरैशी सेवानिवृत लिपिक देवास वनमण्डल द्वारा प्रदाय की गई।

अब्दुल वहीद कुरैशी, सेवानिवृत्त लिपिक देवास को देवास स्थित उसके मकान से गिरफतार किया गया एवं उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने **घ ार में रखी लगभग 200 फर्जी टीपी एवं देवास वनमण्डल का शासकीय अभिलेख भी जप्त कराया। जाँच में यह पाया गया कि श्री कुरैशी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय इनके प्रभार में जो परिवहन अनुज्ञा पत्र की किताबें थी वह ये अपने साथ मय रजिस्टर के घर ले गये एवं प्रभार में नही दिया गया।**

श्री कुरैशी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया। वह लगभग एक माह तक जेल में रहा। सत्र न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने के उपरांत उच्च न्यायालय से इसकी जमानत मंजूर हो पाई।

इस प्रकरण में विभाग के सेवानिवृत लिपिक के साथ लकडी के अवैध व्यापार में लिप्त तस्करों द्वारा फर्जी टीपी से लकडी परिवहन करने का प्रकरण प्रकाश में आया।

पत्रिका 23-1-11

नकली टीपी में बाप-बेटे की तलाश

बाकी आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल

सिटी रिपोर्टर @ इंदौर

नकली टीपी से लकड़ी तस्करी के पांच आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। वहीं टीपी देने वाले टिम्बर व्यापारी और उसके बेटे को वन विभाग की टीम तलाश रही है। बताते है वे शहर से बाहर भाग गए हैं। वहीं वन विभाग मामले में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है।

दो दिन पहले वन विभाग की टीम ने कनाड़िया रोड से एक मिनी ट्रक से पौन लाख की बबूल की लकड़ी जब्त कर राजकिशोर, गुड्डू , संजय, सुनील और गजानंद को पकड़ा था। पांचों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों और ट्रक मालिक इकबालसिंह ने बताया लकड़ी टिम्बर व्यापारी अवतारसिंह और उसके बेटे सन्नी ने मंगवाई थीं। इसकी टीपी भी उन्होंने दी थी, जो नकली है। शनिवार को टिम्बर व्यापारी के यहां छापा मारा, लेकिन वे नहीं मिले। कल रात भी टीम को सूचना मिली थी कि ये दोनों फ्लाइट से हैदराबाद भाग रहे हैं। टीम दोनों नहीं मिले। डीएफओ मो. सईद खान ने बताया देवास के डीएफओ का कहना है न तो हमारे रेंजर को यह बिलबुक दी गई थी, न उसके हस्ताक्षर हैं।

पत्रिका 22 फरवरी 2011

इंदौर पत्रिका

22 फरवरी 2011

ड्रामे के बाद गिरफ्त में आया व्यापारी और बेटा

टीपी कांड : वन विभाग के रिटायर बाबू ने दी थी नकली टीपी, उसे भी देवास से हिरासत में लिया

सिटी रिपोर्टर @ इंदौर

नकली टीपी कांड में वन विभाग ने सोमवार को एक टिम्बर व्यापारी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। जब टीम उनके घर पहुंची तो बाप तो बाथरूम में छिप गया और बेटा पलंग के नीचे। घर की महिलाएं सामने आ गईं। दोनों का कहना है कि टीपी उन्हें वन विभाग के रिटायर बाबू ने दी थी। टीम ने उसे भी देवास से हिरासत में लिया।

लकड़ी परिवहन के लिए वन विभाग टीपी जारी करता है। टीपी बगैर परिवहन अवैध माना जाता है। 20 जनवरी को विभाग की टीम ने कनाड़िया बायपास से ट्रक पकड़ा था। उसके पास टीपी तो मिली लेकिन नकली थी। इस पर टीम ने ड्राइवर और चार मजदूरों को गिरफ्तार किया, जो जेल में हैं। इन लोगों ने बताया था कि टीपी टिम्बर व्यापारी अवतारसिंह बग्गा और उसके बेटे हरजीतसिंह निवासी खातीवाला टैंक ने दी थी। टीम ने उन्हें भी आरोपी बनाया लेकिन वे फरार हो गए। उनके घर छापा भी मारा, वह नहीं मिले।

महिलाएं बल ने हटाया

सोमवार को एसडीओ अभय जैन और रेंजर राकेश लहरी के नेतृत्व में महिला बल के साथ टीम ने उनके घर छापा मारा। टीम को देखकर अवतारसिंह बाथरूम में छिप गया और उसका बेटा पलंग के नीचे। घर की महिलाएं सामने आ गईं। टीम के महिला बल ने उन्हें हटाया और दोनों को बाहर निकालकर पकड़ लिया।

कोर्ट से मांगेंगे रिमांड, मुखिया के निर्देश के बाद कार्रवाई

जैन ने बताया कि आरोपियों से हुई प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने कहा कि यह टीपी देवास वन मंडल के रिटायर बाबू अब्दुल वहीद खान ने उन्हें दी थी। इस पर टीम वहां पहुंची और उन्हें भी पूछताछ के लिए इंदौर ले आई है। जैन का कहना है कि मंगलवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। आशंका है कि यह एक बड़ा गिरोह है, जो जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटकर उसे नकली टीपी के जरिए मंडी में बेचता है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए विभाग की ओर से खुड़ैल थाने में भी आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। बताते हैं कि इंदौर यात्रा पर आए वन विभाग के मुखिया रमेश के. दवे के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस को आरोपियों के पकड़े जाने पर बड़े गिरोह का पता चलने की उम्मीद है।

इंदौर . मंगलवार
22 फरवरी 2011 3

...चलाए जा रहे थे। इनमें से एक टैंकर को घेराबंदी कर ... केरोसिन से चलाए जा रहे थे। दोनों टैंकर का मालिक मनावर निवासी ...

दो टिंबर व्यापारी और एक सेवानिवृत्त क्लर्क गिरफ्तार

फर्जी टीपी से लकड़ियों का परिवहन करने का मामला » वन विभाग ने की कार्रवाई » इंदौर-देवास में पूछताछ जारी

भास्कर संवाददाता | इंदौर

फर्जी ट्रांजिट पास (टीपी) से लकड़ियों का परिवहन करने के मामले में वन विभाग ने सोमवार को इंदौर के दो टिंबर व्यापारियों व देवास वनमंडल से सेवानिवृत्त एक क्लर्क को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा 20 जनवरी को कनाड़िया रोड से पकड़े गए ट्रक से हुआ जिसमें बबूल की लकड़ी ले जाई जा रही थी।

टिंबर व्यापारियों अवतारसिंह बग्गा तथा उनके पुत्र सन्नी को वनकर्मियों ने उनके खातीवाला टैंक स्थित निवास से गिरफ्तार किया। दोनों ने स्वीकारा कि उन्हें देवास के ए.वी. कुरैशी ने फर्जी टीपी दी थी। दोनों की निशानदेही पर वनकर्मियों ने अब्दुल को पकड़ा जो तीन साल पहले देवास वनमंडल से क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। एसडीओ अभय जैन ने भास्कर को बताया तीनों से पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। टीपी कांड में पहले पकड़ाया ट्रक ड्राइवर राजकिशोर फिलहाल जेल में ही है। उसने सोमवार को न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।

कई सालों से चल रहा था मामला

बताया जाता है फर्जी टीपी से लकड़ियों का परिवहन कई सालों से चल रहा था जिसकी भनक भी अधिकारियों को नहीं लगी। इससे पहले इंदौर वनमंडल में एक मामला पकड़ाया था जिसमें टीपी तो जारी की जाती थी लेकिन लकड़ियां व ट्रक देवास नहीं जाता था। सिर्फ टीपी के आधार पर देवास में सागवान की अवैध लकड़ियां वैध कर दी जाती थी। इस मामले में दो रेंजरों को निलंबित भी किया गया था। डेढ़ साल पहले यह मामला सामने आने के बाद भी अधिकारियों को फर्जी टीपी की जानकारी नहीं हो पाई थी।

पत्रिका
इंदौर, बुधवार 23 फरवरी, 2011

टिम्बर व्यापारी व बाबू को जेल भेजा

इंदौर. वन विभाग ने सोमवार को नकली टीपी कांड के आरोपी टिम्बर व्यापारी अवतारसिंह बग्गा और वन मंडल के रिटायर बाबू अब्दुल वहीद कुरैशी को गिरफ्तार किया था। उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने आरोपियों को 5 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से 100 के लगभग नकली टीपी जब्त हुई है। कुछ दिन पहले वन विभाग ने कनाड़िया बायपास से लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा था। आरोपियों से नकली टीपी मिली थी। इस पर टीम ने ड्राइवर और चार मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया था। टीपी देने वाले टिम्बर व्यापारी अवतारसिंह बग्गा और उसके बेटे हरजीतसिंह फरार हो गए थे। उन्हें टीम ने सोमवार को छापा मार कर पकड़ा था।

11. ग्राम मेण्डल के अपात्रों द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त करने का असफल प्रयास

वनपरिक्षेत्र चोरल के ग्राम मेण्डल जो वन क्षेत्र में अतिक्रमण हेतु अतिसंवेदनशील है के अतिक्रमाकों द्वारा गलत ढंग से वन अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के मंत्रियों को विभाग के कर्मचारियों द्वारा उत्पीडन एवं वन अधिकार पत्र नहीं मिलने की शिकायत की गई। दिनांक 6. 9.2010 को केन्द्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के कई नेतागण ग्राम मेण्डल में उपस्थित हुए एवं ग्रामवासियों द्वारा विभाग के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। वन अधिकारियों द्वारा विभाग का पक्ष तथ्यात्मक रूप से दृढता पूर्वक राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के समक्ष रखा गया। **इसमें मुख्य रूप से वर्ष 2005 एवं 2010 के मेण्डल ग्राम के सेटैलाईट पिक्चर प्रस्तुत कर यह सत्यापित किया कि जिस स्थान पर आज वन अधिकार पत्र मांगे जा रहे है वहां वर्ष 2005 में घना जंगल था। अर्थात अतिक्रमण वर्ष 2005 के बाद का है एवं मेण्डल ग्राम के अपराधियों का अपराधिक रिकार्ड भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस तथ्य को माननीय मुख्य सचिव वन विभाग द्व ारा भी मान्य किया गया।** इस प्रयास से मेण्डल ग्राम में वन भूमि पर अतिक्रमण पर नियंत्रण हुआ।

Satellite Imagery 2005

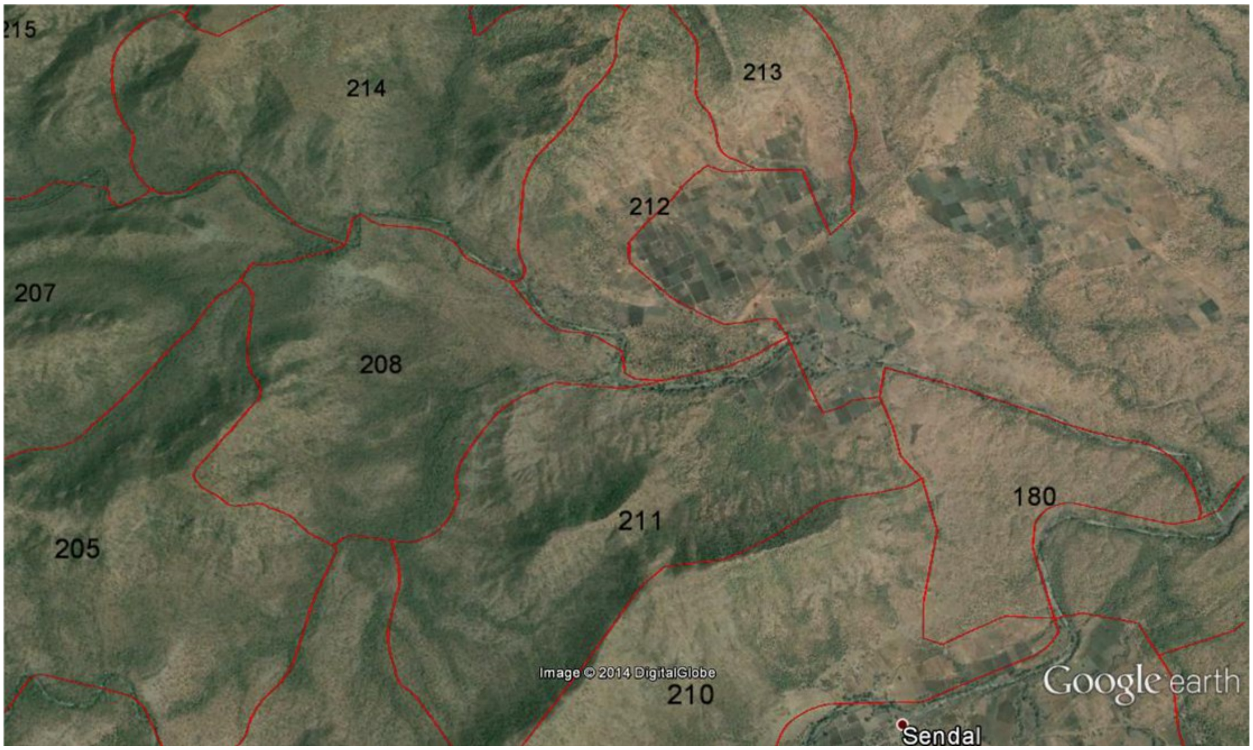

Satellite Imagery 2010

12- <u>समन्वित प्रयास से अंजन क्षेत्र का सफलता पूर्वक संरक्षण एवं संवर्धन</u>

वनमण्डल	– इन्दौर
वन परिक्षेत्र	– चोरल
बीट – राजपुरा	
वन सुरक्षा समिति	– राजपुरा
कक्ष क्रमांक	– 133 R.F.
क्षेत्रफल	– 287.760 हेक्टेयर
कार्य वृत्त	– सुधार पातन वृत्त

<u>बांस वृक्षारोपण</u>

वर्ष 2011–12 में कक्ष क्रमांक 133 में बांस वृक्षारोपण हेतु 50 हेक्टेयर क्षेत्र चयन किया गया। योजना अनुसार इसमें बांस वृक्षारोपण की क्षेत्र तैयारी की गई। जिसमें 4X4 मीटर की स्पेसिंग पर बांस वृक्षारोपण हेतु 45X45 से.मी. के गडडे खोदे गये। जिनमें जुलाई 2012 में रोपण का कार्य किया गया।

दिनांक 28–01–2012 को तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा बांस वृक्षारोपण क्षेत्र तैयारी के निरीक्षण के दौरान द्वारा निर्देश दिये गये कि क्षेत्र में अंजन के पेड़ काफी मात्रा में है, जिनमें काफी मात्रा में लापिंग हो रही है। अतः अंजन संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजना बनाकर प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशानुसार कक्ष क्रं. 133 में उपलब्ध अंजन वृक्षों के संर्वधन एवं संरक्षण हेतु योजना बनाई गई। जिसमें ग्रामवासियों के सहयोग से क्षेत्र की सुरक्षा, अंजन वृक्षों की गणना, क्षेत्र में भू–जल संरक्षण कार्य, बांस के साथ–साथ अंजन, एवं अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण, अंजन एवं अन्य प्रजातियों का बीजा रोपण आदि इस योजना में शामिल किया गया।

कार्य योजना अनुसार निम्नानुसार कार्य किये गयेः–

1) कक्ष क्रमांक 133 में जितने भी अंजन के वृक्ष उपलब्ध थे, उनकी गणना की गई। एवं उन पर नम्बर डालकर गोलाईवार अभिलेख तैयार किये गये। अभिलेख अनुसार :–

गोलाई(से.मी. में)	वृक्ष संख्या
21 से 30	22
31 से 45	108
46 से 60	4864
61 से 90	3333
90 से 120	1465
120 से अधिक	148
कुल वृक्ष	**9940**

उपरोक्त गणना से यह स्पष्ट हुआ कि 21 से 40 गोलाई के युवा पेड़ (Young Trees) तक बहुत कम हैं। अर्थात अंजन का पुर्नरूत्पादन एवं पुर्नस्थापन नहीं है। इसका मुख्य कारण अंजन के वृक्षों में बहुत अधिक लापिंग पाई गई।

2) कक्ष क्रमांक 133 के संपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा की गई। अंजन पेड़ों की लापिंग रोकने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को सड़क किनारें से फेन्सिंग का कार्य किया गया। इस हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री तथा खड़े पेड़ों की सहायता से कांटेदार तारों की फेन्सिंग का कार्य आवश्यकतानुसार किया गया।

3) सुरक्षा समिति राजपुरा के सदस्यों को अंजन पेड़ों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया तथा आवश्यक सहयोग हेतु तैयार किया गया। ग्राम वासियों की लगातार बैठक हर स्तर के अधिकारियों द्वारा ली गई। (मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक) ग्राम वासियों को अंजन के लापिंग के नुकसान के बारे में बताया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि भविष्य में अंजन के पेड़ नहीं बचेगें क्योंकि बीज पैदा नहीं हो रहें है, तथा नई पौध नहीं आ रही है, जो गणना में भी स्पष्ट है। इस कार्य में स्थानीय चरवाहों से भी

चर्चा कर उनसे भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई और सहयोग हेतु उन्हें भी समझाया गया।

4) कक्ष क्रमांक 133 में बांस वृक्षारोपण के साथ–साथ अंजन के पौधों का भी रोपण किया गया।

5) समिति क्षेत्र के बाहर के निवासी जो वाहनों से अंजन पत्ती तोड़ते थे, उन पर रोक लगाई गई। ग्रामवासियों को समझाईश दी गई कि वे अन्य क्षेत्र में भी जो अंजन पत्ती तोड़ें उसमें भी पेड़ों का एक तिहाई हिस्सा छोड़ दें।

6) क्षेत्र में भू–जल संरक्षण का कार्य किया गया। जिसमें उपलब्ध नालों पर बोरी बन्धान बनाये गये। डबरा–डबरी का निर्माण कराया गया। अधिक चराई वाले क्षेत्र में, जहॉ जमींन ठोस हो गई थी, ट्रेक्टर से जुताई की गई। नालों पर बोल्डर चेक डेम बनाये गये।

7) मई माह में क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के बीजों का रोपण किया गया। मिट्टी में स्थानीय खाद आदि मिलाये गए। मुख्य रूप से अंजन, बेहड़ा, खमेर एवं सागौन के बीजों का रोपण किया गया। यह बीज रोपण कार्यक्रम अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों को सम्मिलित कर उत्सव के रूप में मनाया गया।

8) क्षेत्र में बांस के पौधों के साथ अंजन, नीम, सागौन, बड़, पीपल, आवंला आदि का रोपण किया गया। कुल पौधे 50,000 रोपे गये।

9) क्षेत्र में उपलब्ध डबरा–डबरी एवं नलों के पानी से उपलब्धता अनुसार सिंचाई की गई।

<u>परिणाम</u>

कक्ष क्रं0 133 में आरम्भ के 3 वर्षो में किसी भी अंजन के पेड़ में लापिंग नहीं हुई। लापिंग नहीं होने से पेड़ों में फली भी लगी।

बीज से तैयार पौधे सुरक्षित एवं स्थापित हुये।

रोपे गये बांस, आवंला, सागौन, बेहड़ा, खम्हेर एवं नीम की स्थिति बहुत अच्छी रही।

कालांतर में क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने लगा, क्योंकि क्षेत्र में कई छोटी –छोटी पहाड़ियां हैं। चारों तरफ अलग–अलग पहाड़ है। इनके स्थाई रूप से अलग–अलग नाम है, जो क्षेत्र के भ्रमण को और रोचक बनाते हैं।

––––––

13. सीधी वन मंडल के चुरहट वन परिक्षेत्र में जन भागीदारी आधारित बहु – स्तरीय सिंचित रोपण से सतत् आय

प्रस्तावना

वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराया जाता है। इन रोपणों का मुख्य उद्देश्य यद्यपि रिक्त एवं अल्पसस्य घनत्व के वन क्षेत्रों में वृक्षच्छादन कर उनकी पर्यावरण संरक्षण क्षमता तथा उत्पादकता में अभिवृद्धि करना है, तथापि यह भी अपेक्षा की जाती है कि इन रोपणों से भविष्य में स्थानीय वनाश्रित ग्रामीण जन समुदायों की उनकी निस्तार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनोंपजों की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी। रोपण हेतु प्रजातियों का चयन मुख्य रूप से स्थानीय ग्रामीणों की आवश्यकता व मांग तथा प्रस्तावित रोपण स्थल के स्थानीय कारकों जैसे – जलवायु, मृदा, भू– आकृति, जैविक दवाब, इत्यादि एवं रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। आमतौर पर रोपण एकल – स्तरीय तथा वृक्ष प्रजातियों के ही होते हैं। यधपि इन रोपण योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान तात्कालिक रूप से मजदूरी के रूप से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार को लाभ प्राप्त होता है। परन्तु अल्पावधि में इनसे उन्हें कोई अन्य प्रत्यक्ष लाभ न मिल पाने से वे इनकी सुरक्षा तथा देखरेख के प्रति उदासीन रहते है जिसके कारण इन रोपण योजनाओं में सामान्यतः जन भागीदारी का अभाव ही रहता है। फलस्वरूप न केवल इन रोपणों की सफलता की संभावना कम हो जाती है, अपितु इनसे अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। यधपि कुछ वन अधिकारियों /कर्मचारियों तथा वन समितियों ने विगत वर्षों में मौलिक सूझबूझ का परिचय दे कर विशिष्ट नवाचार के अनुकरणीय उदाहारण भी प्रस्तुत किये हैं। सफलता की प्रस्तुत कहानी इसी प्रकार के नवाचार की है जिसमें जन भागीदारी आधारित बहु – स्तरीय सिंचित रोपण के माध्यम से वनाश्रित स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिये सतत् आय का साधन निर्मित किया गया।

<u>विवरण</u>

मध्यप्रदेश के सीधी वन मंडल के चुरहट वन परिक्षेत्र में वर्ष 2001 –02 में स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा वन सुरक्षा समिति बरदेला तथा वन सुरक्षा समिति हत्था के सदस्यों की सक्रिय सहभागिता से बहु – स्तरीय सिंचित रोपण की तीन परियोजनायें तैयार की गई। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य वनीकरण के साथ – साथ रोपण स्थलों की उत्पादक क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करते हुये अधिकतम वनोपज उत्पादन तथा स्थानीय ग्रामीणों के लिये सतत् आय के स्त्रोत का विकास करना था। इन परियोजनाओं को तैयार करते "समय वॉटम अप एप्रोच" अपनाई गई तथा रोपण स्थलों एवं रोपित की जाने वाली प्रजातियों के चयन में स्थानीय ग्रामीणों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गई।

इन तीन परियोजनाओं में से एक परियोजना बहु – स्तरीय सिंचित रोपण का क्रियान्वयन कुल 11 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन सुरक्षा समिति बरदेला के द्वारा किया गया। शेष के दो परियोजनाओं – बहुस्तरीय सिंचित रोपण मगहर जैकरण सिंह तथा अगहर भीम सिंह का क्रियान्वन 22 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन सुरक्षा समिति हत्था के द्वारा किया गया। प्रत्येक परियोजना की लागत रू. 7.70 लाख थी। तीनों परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2002 में नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार बाँस तथा आँवला का पौधारोपण तथा इन पौधों की कतारों के बीच पामारोजा घास के टफ्ट्स का अधोरोपण किया गया।

रोपित पौधों की संख्या

क्र.	रोपण परियोजना	बाँस पौधे	आँवला पौधे	पामारोजा टफ्ट्स
1	व्रदेला	1727	4092	4,10,750
2	अगहर जैकरण सिंह	1141	3580	2,60,900
3	अगहर भीम सिंह	10276	3531	2,70,310

<u>परिणाम</u>

तीनों परियोजनाओं के अंतर्गत लगाये गये रोपण अत्यधिक सफल रहे। ग्रामीणों को न केवल श्रम के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ अपितु वर्ष 2005 से उन्हें स्वयं के उपयोग हेतु आँवला फल तथा बाँस भी प्राप्त होने लगे हैं। विभिन्न रोपण विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीणों की संख्या नीचे तालिका में दर्शित है।

क.	**रोपण परियोजना**	**लाभान्वित ग्रामीणों की संख्या**	**लाभान्वित ग्रामों के नाम**
1	बरदेला	150	1.अगहर 2.बरसजिहा 3.शिकारगंज
2	अगहर जैकरण सिंह	160	1.अगहर 2.चेम्बा 3.नैकिन
3	अगहर भीम सिंह	190	1.अगहर 2.लेहचुआ 3.अगडाल 4.चोरगढ़ी 5.बधवार

ग्रामीणों की निस्तार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् शेष बची वनोपज की नीलाम द्वारा बिक्री से संबंधित वन सुरक्षा समितियों को नियमित आय भी प्राप्त हो रही है। उपवन मंडलाधिकारी, सीधी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 – 2009 तक समितियों को नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार आय प्राप्त हो चुकी थी।

क.	**रोपण परियोजना**	**निर्वर्तित वनोपज**	**मात्रा**	**विक्रय से प्राप्त आय रू. में**

1	बरदेला	1.बाँस 2.आँवला 3.पामारोजा ऑयल	2170 नग — 637.16 लीटर	17,360/— 15,580/— 2,21,305/—
		योग		**2,54,245/—**
2	अगहर जैकरण सिंह	1.आँवला 2.पामारोजा ऑयल	1069 कि. ग्रा. 86.40 कि. ग्रा.	.2,732/— 31,611/—
		योग		**34,343/—**
3	अगहर भीम सिंह	पामारोजा ऑयल	59.01 ली.	19,628/—
	महायोग			**3,08,216/—**

<u>सीखने के बिंदु</u>

1- रोपणों की सफलता के लिये जन सहभागिता आवश्यक है। रोपण परियोजना को बनाते समय ही स्थानीय जन समुदाय को विश्वास में लिया जाना चाहिये तथा उन्हें परियोजना से प्राप्त होने वाले प्रत्य क्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों की जानकारी दी जानी चाहिये।

2. रोपण स्थलों तथा रोपित की जाने वाली प्रजातियों के चयन में भी स्थानीय समुदाय की राय ली जानी चाहिये तथा उनकी राय को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिये।

3. एकल स्तरीय वृक्ष प्रजातियों के रोपणों की तुलना में बहुस्तरीय रोपण न केवल इकोलॉजी की दृष्टि से अपितु आर्थिक दृष्टि से भी बेहतर होते हैं। बहुस्तरीय रोपणों में रोपित विभिन्न प्रजातियाँ मृदा के विभिन्न स्तरों से मृदा में उपस्थित पोषक तत्व प्राप्त कर सकती है तथा उनसे गिरने वाली पत्तियों से उत्पन्न ह्यूमस से मृदा को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं जिससे मृदा की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही बहुस्तरीय रोपणों में विभिन्न प्रजातियों से वर्ष भर विभिन्न

प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जो कि आश्रित जन समुदायों की निस्तार आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ –साथ उनकी आजीविका एव ंनियमित आय के साधन भी हो सकते हैं।

4. रोपण की जाने वाली प्रजातियों का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिये ताकि उनसे अल्पावधि में ही उत्पादन /आय प्राप्त होने लगे जिससे कि स्थानीय ग्रामीण रोपण की सुरक्षा व रख – रखाव में रूचि लें।

5. रोपणों से प्राप्त होने वाले उत्पादों तथा उनके निर्वर्तन से प्राप्त होने वाली आय के वितरण की न्यायपूर्ण व पारदर्शी व्यवस्था भी बनाई जाना आवश्यक है।

———————

14. सीधी वन मंडल में वनों के समीपवर्ती ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका के वैकलपिक साधनों का निर्माण

पृष्ठभूमि

प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न एवं कैमूर पर्वत श्रेणी से घिरे सीधी जिले के कुल 3790.738 वर्ग कि. मी. भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 31 प्रतिशत भू – भाग में वन हैं, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में वन संपदा उपलब्ध हैं। जिले में कुल 1040 गाँव हैं जिनमें से 877 गाँव वन सीमा से 5 कि. मी. के दायरे में स्थित है। इन गाँवो के निवासी परिवार अपनी जलाऊ लकड़ी, मवेशियों के चारे इत्यादि की दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आजीविका के लिये मुख्य रूप से वनों पर आश्रित है। इसके कारण वनों पर भारी जैविक दबाव है तथा अत्यधिक विदोहन के कारण वनों की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये संयुक्त वन प्रबंध संबंधी संकल्प में वन सीमा के पास रहने वाले ग्रामीणों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया है ताकि न केवल इन वनाश्रित निर्धन ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का साधन निर्मित हो, अपितु वनों पर पड़ने वाले जैविक दबाव में भी कमी आ सके।

सफलता की प्रस्तुत कहानी सीधी वन मंडल में आजीविका निर्माण की दिशा में किये ठोस प्रयासों तथा प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों से संबंधित है।

विवरण

राज्य शासन के संकल्प के अनुपालन में वर्ष 2010 में विभिन्न प्रकार की आजीविका संबंधी गतिविधियाँ प्रारंभ की गई। वन मंडल के वनों में बाँस की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत सर्वप्रथम बाँस से अगरबत्ती तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें प्राप्त सफलता से उत्साहित हो कर बाद में बाँस से अन्य हस्तशिल्प जैसे – सोफा, कुर्सी, आलमारी, टोप एवं महिलाओं के बाँस से निर्मित विभिन्न आभूषण बनाने का कार्य भी हाथ में लिया गया। धीरे –धीरे स्थानीय वन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप आजीविका संबंधी अन्य

गतिविधियां जैसे सीसलरेशे से रस्सी एवं अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण, कपड़ा चिंदी से रस्सी निर्माण, दरी एवं कालीन निर्माण, चारकोल ब्रिकेट्स निर्माण, शहद संग्रहण व प्रसंस्करण, लाख उत्पादन, रेशम कृमि पालन, मत्स्य पालन, जैविक कृषि इत्यादि भी प्रारंभ की गई। इसके लिये प्रथम चरण में वन सीमा से 5 कि.मी. परिधि में बसे गाँवों के परिवारों को चिन्हित किया गया जो पूर्णतया वनों पर आश्रित थे तथा वनों से लकड़ी लाकर तथा उसे बाजार में बेच कर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन परिवारों की अभिरूचि तथा विद्यमान कौशल के अनुरूप विभिन्न स्वसहायता समूह गठित किये गये। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह में सम्मिलित हितग्रहियों को किसी एक प्रकार की आजीविका संबंधी गतिविधि में प्रशिक्षण दिलाया गया। द्वितीय चरण में उन्हें सामूहिक रूप से आजीविका संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई जिससे वे इन कार्यों को तेजी से संपादित कर कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।
तत्पश्चात् आजीविका कार्य में संलग्न हितग्रहियों के लिये विभिन्न ग्राम संकलों में विशिष्ट आजीविका केंद्र स्थापित किये गये। इन केंद्रों में कार्य करने वाले हितग्रहियों के लिये कोई समय प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की गई। किसी हितग्रही को अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के पश्चात् जब भी समय बचता है, वह उस अवधि में आजीविका केंद्र पर आ कर कार्य कर सकता है।

वन मंडल द्वारा दो स्थानों गाँधीग्राम तथा कोल्हूडीह में विशेष आजीविका प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किये गये हैं, जहाँ पर इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की आजीविका से संबंधित उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

विभिन्न स्व सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन अथवा अन्यथा निर्वर्तन हेतु स्वायत्तता प्राप्त है परन्तु विपणन में कठिनाई होने पर वन मंडल द्वारा भी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। वन मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों को भी समय – समय पर बुला कर हितग्रहियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाये जाते हैं ताकि उनके कौशल में निरंतर वृद्धि हो सके एवं उनके द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।

परिणाम

सीधी वन मंडल में आजीविका संबंधी गतिविधियों तथा उनसे लाभान्वित होने वाले हितग्राही परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्तमान में वन मंडल में निम्नानुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही है।

1. बाँस, अगरबत्ती, काँडी तथा अगरबत्ती निर्माण

25 गाँवों की महिलायें कार्यरत हैं। दैनिक आय में प्रतिव्यक्ति 75 से 125 रू. की वृद्धि। 30 महिलायें मास्टर ट्रेनर्स ।

2. बाँस हस्त शिल्प एवं आभूषण निर्माण

20 पुरूष, 70 महिलायें एवं 02 मास्टर ट्रेनर्स।

3. सीसल पत्तियों से रेशा निकाल कर रस्सी तथा अन्य हस्तशिल्प की वस्त ुओं का निर्माण

160 महिलायें संलग्न। वॉल हैंगिंग, झूला, पर्स, हैंड बैग, झोला, चाभी, छल्ला, गुड़िया, पैरपोश जैसी आकर्षक वस्तुओं का निर्माण

4. कपड़ा चिंदी से रस्सी निर्माण

70 परिवारों के 150 सदस्य संलग्न

5. बायोमास से चारकोल ब्रिकेट्स निर्माण

समितियों का गठन कर प्रशिक्षण दिलाया जा कर लेण्टाना से चारकोल ब्रिकेट्स का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।

6. मत्स्य पालन

15 गाँवो के तालाबों में वैज्ञानिक तकनीक से मत्स्य पालन कार्य किया जा रहा है।

7. लाख उत्पादन

लगभग 500 हितग्राही लाभानवित। प्रतिव्यक्ति औसतन रू. 16000/- की अतिरिक्त वार्षिक आय

8. हथकरघा, दरी, कालीन निर्माण

25 आदिवासी महिलायें संलग्न

9. बायोडायनेमिक जैविक कृषि तकनीकी

लगभग 200 कृषक संलग्न

<u>10. महुआ का उन्नत तरीके से संग्रहण व प्रसंस्करण</u>

(जाली) नेट के माध्यम से महुआ संग्रहण होने से गुणवत्ता में सुधार। महुआ से अनेक विशिष्ट खाद्य उत्पादों जैसे लड्डू, नमकीन, बिस्किट, मुरब्बा, अचार, इत्यादि का निर्माण।

<u>11. मधुमक्खी पालन एवं शहद संग्रहण</u>

35. हितग्राही परिवार लाभान्वित। मधुमक्खी पालन व शहद संग्रहण से जुड़े व्यक्तियों को आधुनिक उपकरणों जैसे मास्क, दस्ताने, रस्सी, पेटियों इत्यादि का प्रदाय।

<u>12.रेशम कृषिपालन</u>

लगभग 20 गाँवो में गतिविधि संचालित।

इस प्रकार उपरोक्त गतिविधियों से जिले में वन सीमा से लगे 25 गाँवो के लगभग 5250 व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करा कर उनके लिये सतत् आजीविका के साधन निर्मित किये गये हैं। इससे न केवल हितग्राही परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है अपितु समीपस्थ वनों पर पड़ने वाले जैविक दवाब में कमी आई है। कई आदिवासी परिवारों ने तो उपरोक्त वर्णित विशिष्ट आजीविका गतिविधियों को प्रमुख व्यवसाय के रूप में ही अपना लिया है। सीधी वन मंडल में संचालित गतिविधियों की जन प्रतिनिधियों तथा शासन के उच्चाधिकारियों द्वारा भरपूर सराहना की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2014 को आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्रहियों को प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार राशि वितरित किए गए। गतिविधियों से संबद्ध विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य की भी सराहना की गई।

<u>सीखने के बिंदु</u>

1- वनों पर जैविक दवाब को कम करने के लिये वनों के समीपस्थ ग्रामों में रहने वाले परिवारों को सतत् आजीविका के वैकलपिक साधन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

2- इस हेतु यह आवश्यक है कि आजीविका संबंधी गतिवधियों में अभिरूचि तथा परंपरागत रूप से थोड़ा बहुत कौशल रखने वाले व्यक्तियों का चयन कर उनके स्व सहायता समूह गठित करवाये जाये।

3- हितग्प्रहियों के उचित तथा नियमित प्रशिक्षण तथा आधुनिक मशीनों की व्यवस्था आवश्यक है ताकि निर्मित उत्पाद गुणवत्ता व मूल्य की दृष्टि से बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक सके।

4- स्व सहायता समूहों को कच्चे माल की उपलब्धता तथा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाये।

5. गतिविधियों के संचालन हेतु सुविधा संपन्न आजीविका केंद्र स्थापित किये जायें।

6. हितग्रहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये आजीविका केंद्रो पर निश्चित समय प्रतिबद्धता निर्धारित न करते हुये लचीली कार्य अवधि रखी जाये।

7. आजीविका हेतु ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाये, जिनके लिये कच्चा माल स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो, निर्मित उत्पादों के लिये सुलभ बाजार हो तथा लागत – लाभ की दृष्टि से उनका उत्पादन लाभकारी हो।

——————